[2019] 5 एस. सी. आर. 1060

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

वी.

ज़हूर अहमद शाह वटाली

(2019 की आपराधिक अपील No.578)

अप्रैल 02,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-अध्याय IV

& VI-ss. 13 , 16 , 17 , 18 , 20 और 38-40-उत्तरदाता को नामित किया गया था

यू/एस. एस. द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एफ. आई. आर. में अभियुक्त No.10। 120 आई. पी. सी. और एस. एस. के बी, 121 और 121 ए। 13,16,17,18,20 और 38-40

1967 अधिनियम-प्रत्यर्थी ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया

जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (एन. आई. ए.), नई दिल्ली-अस्वीकार-उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया आदेश-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः विस्तृत जाँच या साक्ष्य के विच्छेदन की आवश्यकता नहीं है।

जमानत अदालत के लिए अनुरोध पर विचार करने के चरण में किया जाना है

केवल अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है

कथित अपराध या अन्यथा करना-उच्च न्यायालय साक्ष्य के गुण और दोषों की जांच करने का प्रयास किया

—

इस स्तर पर दस्तावेज़ को त्यागने का प्रश्न, के आधार पर

साक्ष्य में अस्वीकार्य होना, अनुज्ञेय नहीं है दस्तावेज़/साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा परीक्षण का विषय होगा -

रिपोर्ट की समग्रता को ध्यान में रखते हुए यू / सीआरपीसी का s.173,

न्यायालय में पहले से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और साक्ष्य, जिसमें यू/एस दर्ज किए गए संरक्षित गवाहों के संशोधित बयान शामिल हैं। 164 सी. आर. पी. सी. के उचित आधार हैं

यह विश्वास करने के लिए कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप हैं

प्रथम दृष्टया सत्य-प्रतिवादी की भूमिका बड़ी साजिश का हिस्सा होने और धन जुटाने वाले और वित्त वाहक के रूप में कार्य करने की है-उच्च न्यायालय ने गलती से इस आधार पर आगे बढ़ाया कि

आरोप-पत्र में किसी अन्य आपराधिक मामले का कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्यर्थी के खिलाफ-उच्च न्यायालय ने एक अनुचित निर्णय लिया

जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते हुए दृष्टिकोण-आदेश

प्रत्यर्थी को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित, उलट दिया गया

आवेदन को खारिज करते हुए नामित न्यायालय द्वारा पारित आदेश

प्रत्यर्थी द्वारा जमानत देने के लिए, पुष्टि की गई-दंड संहिता,

1060 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली

1860 – एसएस। 120 बी, 121 और 121 ए-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ

(रोकथाम) अधिनियम, 1985-महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 161 , 164 और 173,207-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 34-जमानत।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - s.43D

आवेदन-आयोजितः आई. डी. 1 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण से लेकर उसके मुकदमे के समापन तक लागू होता है। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967-एस. 43 डी (5)-चर्चा का उद्देश्य।

जमानत-अनुदान-विचार किए जाने वाले कारक-चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश-- 1967 के अधिनियम के संदर्भ में "प्रथम दृष्टया सत्य"

इसका अर्थ-गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 निर्णय लेने के लिए विचार किए जाने वाले मामले

जमानत के लिए आवेदन (i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था; (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; (iv) अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का खतरा।

अभियुक्त फरार या भाग रहा है, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है; (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति; (vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना; (vii) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा। जब गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 जैसे विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों की बात आती है,

1967 के अधिनियम की धारा 43 डी में निहित विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कुछ और ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

2008 के अधिनियम 35 द्वारा 31 दिसंबर, 2008 से अंतःस्थापित। उप-धारा (5) के परंतुक के आधार पर, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि -

अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच या अन्यथा है। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (टाडा), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) और स्वापक औषधि (2019) 5 एस. सी. आर. जैसे विशेष अधिनियमों के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब तक कि अन्य साक्ष्य द्वारा विरोधाभासी और पराजित या अस्वीकृत नहीं किया जाता है, और इसके सामने, उक्त अपराध के करने में ऐसे अभियुक्त की संलिप्तता दिखाई देती है। यह किसी दिए गए तथ्य या तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए। कथित अपराध का गठन करना, जब तक कि इसका खंडन या खंडन न किया जाए। एक मायने में, संतुष्टि की डिग्री तब कम होती है जब न्यायालय

यह राय देनी होगी कि आरोप "प्रथम दृष्टया सच" है, क्योंकि अभियुक्त की राय की तुलना में इस तरह के अपराध के लिए "दोषी नहीं"

जैसा कि अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक है। किसी भी मामले में, न्यायालय द्वारा यह मानने के लिए संतोष की डिग्री दर्ज की जानी चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि

अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, एक पर विचार करने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री से हल्का है

अपराधों के संबंध में आवेदन का निर्वहन या आरोप तय करना

1967 के अधिनियम के तहत। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली कवायद-जमानत देने या न देने के लिए कारण देना-जमानत के गुण या दोषों पर चर्चा करने से स्पष्ट रूप से अलग है। सबूत। का विस्तृत परीक्षण या विच्छेदन

इस स्तर पर साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय से केवल अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है।

कथित अपराध या अन्यथा करना। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के गुण-दोष की जांच करने के क्षेत्र में कदम रखा। पूर्णतया राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण v.

जहूर अहमद शाह वटाली

आरोप-पत्र (Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) और जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री जांच पड़ताल की। विशेष प्रावधान, 1967 अधिनियम की धारा 43 डी,

यह 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण से लेकर उसके मुकदमे के समापन तक लागू होता है। उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, लेकिन मामला दर्ज करने से पहले

173 (8) Cr.P.C., आरोप तय होने तक या न्यायालय द्वारा आरोप तय करने और प्रमुख साक्ष्य दर्ज करने के बाद। गवाह आदि। हालांकि, एक बार आरोप तैयार होने के बाद, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि न्यायालय के समक्ष सामग्री पर एक बहुत मजबूत संदेह स्थापित किया गया था, जिसने न्यायालय को तथ्यात्मक के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित किया।

आरोप तय करने को सही ठहराने के लिए अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध का गठन करने वाले तत्व। उस स्थिति में, अभियुक्त को अदालत को संतुष्ट करने के लिए एक कठिन कार्य करना पड़ सकता है कि आरोप पत्र (आई. डी. 1 की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) के साथ प्रस्तुत सामग्री यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं बनाती है कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। वर्तमान मामले की तरह संहिता की धारा 173 के तहत की गई पहली रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जमानत के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा इसी तरह की राय बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री की समग्रता और [2019] 5 एस. सी. आर. के साथ प्रस्तुत की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिपोर्ट और केस डायरी को शामिल करने की आवश्यकता होती है, न कि अलग-अलग साक्ष्य या परिस्थितियों का विश्लेषण करके। किसी भी मामले में, त्यागने का सवाल

इस स्तर पर दस्तावेज़, में अस्वीकार्य होने के आधार पर

साक्ष्य, अनुज्ञेय नहीं है। क्योंकि, दस्तावेज़/साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा परीक्षण का विषय होगा। न्यायालय को दस्तावेज़ की सामग्री को देखना चाहिए और इस तरह के दस्तावेज़ को ध्यान में रखना चाहिए। [पारस 17-19] [1088-B-E; 1092-C-H; 1093-A-F]

1.3 धारा 43 डी के संदर्भ में, यह न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह केस डायरी और/या इसके तहत बनाई गई रिपोर्ट का अवलोकन करे।

संहिता की धारा 173 और अपनी राय दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य। बयानों की स्वीकार्यता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों की प्रभावकारिता के बारे में मुद्दा, संशोधित बयानों के साथ जोड़ा गया परीक्षण का विषय होगा और Cr.P.C की धारा 463 के संदर्भ में साक्ष्य के अधीन होगा।

[पैरा 21,23] [1101-ई-; 1102-सी]

1.4 संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट की समग्रता और साथ में दिए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और

न्यायालय में पहले से प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री, जिसमें संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज संरक्षित गवाहों के संशोधित बयान शामिल हैं, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं। आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसी द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई सामग्री (आगे की जांच लंबित) प्रतिवादी के संबंध को दर्शाती है

संबंधित अवधि के दौरान फोन पर उनकी बातचीत की आवृत्ति अवधि। प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप धारा तक सीमित नहीं है

17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने के संबंध में 1967 के अधिनियम का लेकिन 1967 के अधिनियम की धारा 13,16,18,20,38,39 और 40 के संदर्भ में भी। धारा 13 1967 के अधिनियम के अध्याय 2 में है। द.

हालांकि, धारा 43 डी (5) के तहत जमानत के संबंध में विशेष प्रावधान राष्ट्रीय जांच एजेंसी v के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आकर्षित किए जाते हैं।

जहूर अहमद शाह वटाली

अध्याय 4 और 6, जैसे कि 1967 के अधिनियम की धारा 16,17,18,20,38,39 और 40। धारा 39 और 40 अध्याय VI का हिस्सा हैं, जबकि अन्य धाराएं (धारा 13 को छोड़कर) अध्याय IV का हिस्सा हैं जिन पर विषय जमानत के प्रावधान लागू होते हैं, जो न्यायालय द्वारा संतुष्टि की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। के खिलाफ आरोप

प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) यह है कि अभियुक्त ए-3 से ए-10 ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस का हिस्सा हैं जो खुद को ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस कहता है।

राजनीतिक मोर्चे पर, जबकि उनका एजेंडा भारत संघ से जम्मू-कश्मीर को समाप्त करने के लक्ष्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) की भूमिका बड़ी साजिश का हिस्सा होने और धन जुटाने वाले और वित्त वाहक के रूप में कार्य करने की है। जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत नेताओं और आतंकवादियों/आतंकवादी संगठनों के बीच संबंधों और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उनकी निरंतर गतिविधियों को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है।

[पारस 24-28] [1102-E-H; 1112-E-F; 1113-C-E]

1.5 जब्त की गई वस्तुओं/दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती के संबंध में दस्तावेज़ डी-3/6 के रूप में वर्णित जब्ती ज्ञापन

प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) का परिसर दिनांक 3 जून, 2017, प्रतिवादी की गतिविधियों को उजागर करेगा, जिसमें उसके वित्तीय सौदे भी शामिल हैं। डी-3 जी/20 के रूप में वर्णित एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मेमो डी-3 के माध्यम से प्रतिवादी से जब्त की गई एक संपर्क डायरी है, जिसमें पाकिस्तान का राष्ट्रीय नाम और संपर्क "टी. एस. 0092425765022.26 ए" है जिसका नाम डी-3 जी/20 में अंकित है।

दस्तावेज़ डी-3 जे से डी-3 जे/5 भी आतंकवादी गतिविधियों में प्रतिवादी की संलिप्तता का संकेत देते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उसके खिलाफ अतीत में टाडा के तीन मामले दर्ज किए गए हैं और जांच की गई और जम्मू-कश्मीर पी. एस. ए., 1978 का एक मामला। उच्च न्यायालय गलती से इस आधार पर आगे बढ़ा कि आरोप पत्र में उनके खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले का कोई संदर्भ नहीं है।

उत्तरदाता। इसके अतिरिक्त, आरोप पत्र के साथ डी-9 बी और डी-9 सी दस्तावेज हैं, जो पूर्व आतंकवादी [2019] 5 एस. सी. आर. की तस्वीरें हैं।

ए-3 के पास ए. के-47 है, जिसे अन्य आतंकवादियों के साथ देखा गया है। ये तस्वीरें उक्त पूर्व आतंकवादी के आवास से 3 जून, 2017 को जब्त की गई थीं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि प्रतिवादी (अभियुक्त) No.10) कथित पूर्व-आतंकवादी ए-3 के साथ लगातार संपर्क में था, जैसा कि अंतर-संबंध चार्ट से देखा गया है। यह तथ्य सी. डी. आर. विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा समर्थित है, जो आरोप पत्र का भी हिस्सा है। द.

डी-132 (ए)/23। नामित न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजों को स्वीकार करने के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी स्वीकार किया और संभावित गवाहों के बयान (डब्ल्यूएस-1,28,29,38,39,43,44,48 और 52)। उच्च न्यायालय ने नामित न्यायालय के पक्ष में पाई गई उक्त सामग्री की सराहना नहीं की है।

अपनी राय दर्ज करने के लिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। उच्च न्यायालय ने एक कमजोर दृष्टिकोण अपनाया-पहले दस्तावेज़ डी-132 (ए) को खारिज कर दिया और फिर धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान और जांच एजेंसी द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय को उन सामग्रियों/साक्ष्यों की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए था जो प्रतिवादी की भागीदारी को दर्शाते हैं आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए धारा 17 के तहत अपराध के अलावा कथित अपराधों को करना और एक बड़ी साजिश का सदस्य होना। 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी (5) के प्रावधान में कहा गया है कि 1967 के अधिनियम के अध्याय 4 और 6 में निर्दिष्ट अपराध में शामिल अभियुक्त व्यक्ति को जमानत या मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा। हालाँकि, न्यायालय ऐसे अभियुक्त को केवल तभी जमानत पर रिहा कर सकता है जब केस डायरी और/या Cr.P.C की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट के अवलोकन पर यह राय हो कि यह विश्वास करने के लिए "कोई उचित आधार" नहीं हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। इसके विपरीत, यदि न्यायालय की राय में, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, तो जमानत देने का सवाल बार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v के रूप में उत्पन्न नहीं होगा।

ज़हूर अहमद

शाह वटाली

ऐसे मामलों में जमानत नहीं देने के परंतुक के पहले भाग के तहत काम करेगा। यह तथ्य कि धारा 43 डी (5) में निहित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में अभियुक्त पर यह प्रदर्शित करने का भारी बोझ है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि यह दिखाने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, के. वीरास्वामी में बताई गई कानूनी स्थिति को इस प्रभाव से नहीं बदलता है कि आरोप पत्र में साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय के लिए यह है कि वह जाँच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री/साक्ष्य का आकलन करने के साथ-साथ आई. डी. 1 की धारा 173 के तहत पूरी तरह से अपनी राय तैयार करे कि क्या इसके लिए उचित आधार हैं। यह मानते हुए कि नामित अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच या अन्यथा है। [पारस 29-31] [1121-F-H; 1122-A-H; 1123-B-F]

1.6 नामित न्यायालय ने इस तथ्य की प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य को इंगित करने के बाद जमानत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था कि इसके लिए उचित आधार हैं।

यह मानते हुए कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता का मुद्दा होगा

मुकदमे के लिए मामला। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने एक

जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय अनुचित दृष्टिकोण। उच्च न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए था क्योंकि यह अस्वीकार्य है और इसे खारिज नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तय कानूनी स्थिति की अनदेखी की कि जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करने के चरण में, सामग्री को तौलना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल व्यापक संभावनाओं पर उसके सामने सामग्री के आधार पर राय बनाना आवश्यक है। उम्मीद की जाती है कि अदालत यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाएगी कि क्या अभियुक्तों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। [पारस 33-35] [1128-E-F; 1129-B; E-G] 1.7 नामित न्यायालय ने सही राय दी कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। प्रतिवादी को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उलट दिया जाता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी कथित अपराधों के संबंध में जमानत देने का हकदार नहीं है, विशेष रूप से वे जो [2019] 5 एस. सी. के तहत आते हैं।

1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके बजाय, द्वारा पारित आदेश

प्रत्यर्थी द्वारा जमानत देने के आवेदन को अस्वीकार करने वाले नामित न्यायालय की पुष्टि की जाती है। [पारस 36-38] [1130-ए

के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य। (1991) 3 एससीसी

655 : [1991] 3 एस. सी. आर. 189-अनुसरण किया गया।

सलीम खान बनाम। संजय सिंह और अन्र। (2002) 9 एस. सी. सी. 670; रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्र। (2005) 5 एस. सी. सी. 295 [2005] 3

एस. सी. आर. 345 पर भरोसा किया।

हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य। वी. की स्थिति महाराष्ट्र और ओआरएस। (1994) 4 एससीसी 602: [1994] 1

पूरक। एस. सी. आर. 360; निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी,

अधिवक्ता वी. जितेंद्र भीमराज बिज्जया और अन्य। (1990)

4 एससीसी 76 [1990] 3 एससीआर 633; मनोहर लाल शर्मा

वी. भारत संघ (2017) 11 एस. सी. सी. 783; जयंत कुमार घोष और ओआरएस। वी. असम और अन्र राज्य। (2010) 6 गुवाहाटी लॉ रिपोर्ट 727; देवेंद्र गुप्ता बनाम।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (2014) एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी

192 ; संजय चंद्र बनाम। सीबीआई ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 830:

[2011] 13 एस. सी. आर. 309; केंद्रीय जांच ब्यूरो

वी. वी. सी. शुक्ला और अन्य। (1998) 3 एस. सी. सी. 410: [1998] 1

एस. सी. आर. 1153; चेन्ना बोयन्ना कृष्ण यादव बनाम। राज्य

महाराष्ट्र और अन्र. (2007) 1 एससीसी 242: [2006]

10 पूरक। एससीआर 381; सी. बी. आई. के माध्यम से यू. पी. राज्य बनाम

अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एससीसी 21: [2005] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 454; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य। वी. की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस। (1995) 1 एससीसी 574: [1994] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 477-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1990] 3 एससीआर 633

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

(2017) 11 एस. सी. सी. 783

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

(2010) 6 जी. L.Reports 727

पैरा 3 राष्ट्रीय अन्वेषण

एजेंसी वी. ज़हूर अहमद

शाह वटाली

[1991] 3 एससीआर 189

पीछा किया।

पै

रा 8

[2011] 13 एससीआर 309

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

(2002) 9 एस. सी. सी. 670

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[1998] 1 एससीआर 1153

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[2005] 3 एससीआर 345

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2006] 10 पूरक। एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2005] 3 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1975] 3 एससीआर 839

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1994] 4 पूरक। एससीआर 477

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 578

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 13.09.2018 निर्णय और आदेश से

2018 की आपराधिक अपील संख्या 768 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से।

के. के. वेणुगोपाल, महान्यायवादी, आर. बालासुब्रमण्यम,

सुश्री सुहासिनी सेन, सुचिंद्रन भास्कर नारायण, सुरिंदर सिंह (सीनियर पी. पी./एन. आई. ए.), बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

शेखर नाफडे, आर. ए. जान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शारिक जे. रियाज़, अभिकाल्प

प्रताप सिंह, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, शकील अहमद सैयद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. प्रथम सूचना में प्रतिवादी को अभियुक्त No.10 के रूप में नामित किया गया है।

धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन, एन. आई. ए., दिल्ली के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज 30 मई, 2017 की रिपोर्ट 120 भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा बी, 121 और 121 ए और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 39 और 40 (संक्षेप में "1967 अधिनियम")। प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) ने जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर किया,

विशेष अदालत (एन. आई. ए.), नई दिल्ली, जिसे 8 जून, 2018 को खारिज कर दिया गया। उस आदेश को नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील No.768/2018 में 13 सितंबर, 2018 के आदेश के माध्यम से उलट दिया गया है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को जमानत विषय [2019] 5 एस. सी. आर. पर रिहा करने का निर्देश दिया।

कुछ शर्तों के साथ। यह निर्णय अभियोजन एजेंसी-अपीलार्थी द्वारा दायर इस अपील का विषय है।

3. नामित अदालत ने राय दी कि प्रतिवादी जहूर अहमद शाह वटाली (आरोपी No.10) के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली और दुबई में एक स्रोत से लेकर हुर्रियत नेताओं/अलगाववादियों/आतंकवादियों तक; और सुरक्षा पर बार-बार हमले करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने में उनकी मदद की थी। बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को और स्कूलों आदि को जलाने सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। इसके बाद यह कहा गया कि

प्रत्यर्थी (अभियुक्त No.10) के खिलाफ आरोप भारत संघ से जम्मू-कश्मीर को अलग करने के लिए प्रतिष्ठान को व्यवस्थित रूप से पलटने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा होने का था। इसे ध्यान में रखते हुए

1967 के अधिनियम की धारा 43 डी में विशेष प्रावधान और हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य में व्याख्या। बनाम महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। , 1. 1. 1.

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्टार, कि आरोपी ने अपने स्वामित्व वाले एनजेड-इंटरनेशनल दुबई एफजेडसी से प्राप्त प्रेषण के संबंध में कभी भी कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए; और यह कि उसने पीडब्लू39 के बारे में पूछने के बावजूद व्यवसाय के वास्तविक निष्पादन के बारे में भी सूचित नहीं किया। तथ्य यह है कि मैसर्स ट्रिसन इंटरनेशनल, मैसर्स 3 वाई की बैलेंस शीट पर संरक्षित गवाह पी. डब्ल्यू. 43 के बिना जबरन हस्ताक्षर किए गए थे।

उसे कोई भी दस्तावेज प्रदान करना, उसके बयान में आया है। इसमें है। पीडब्लू44 के बयान में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उनसे सत्यापन के लिए किताबें पेश किए बिना हस्ताक्षर किए गए थे।

पुनः पैराग्राफ 7.8 से 7.10 में न्यायालय ने कहाः

कि उक्त दस्तावेज़/डी-152 को प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए भी बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मनोहर लाल शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (सुप्रा), एल. डी. पर निर्भर था। बचाव पक्ष के वकील भी अभियुक्त की कोई सहायता नहीं करते हैं।

7.9 इसके अलावा, आरोपी के साथ अल्ताफ अहमद शाह @फंटूश (ए-4), फारूक अहमद डार @बिट्टा कराटे (ए-6) का जुड़ाव/निकटता भी प्रथम दृष्टया उनके बयान से सामने आती है।

संरक्षित गवाह पीडब्लू48। पाकिस्तान के शासन में भूमिका रखने वाले लोगों और हुर्रियत नेताओं के साथ आरोपी के संबंध भी प्रथम दृष्टया पी. डब्ल्यू. 52 के बयान, दस्तावेज़ डी-3, डी-4 (ई) आदि और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री के माध्यम से रिकॉर्ड पर आए हैं।

7.10 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गवाहों के बयान/सामग्री/दस्तावेज और अन्य सामग्री

एन. आई. ए. द्वारा रिकॉर्ड, अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध प्रथम दृष्टया बनाए जाते हैं। इसलिए, [2019] 5 एस. सी. आर. के प्रावधान के तहत प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए।

धारा 43 डी (5) यूए (पी) अधिनियम, जमानत के लिए अभियुक्त की प्रार्थना नहीं हो सकती है।

अदालत ने आगे कहाः " 8.1. 1 एल. डी. विशेष पी., एन. आई. ए. ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त एक प्रभावशाली व्यक्ति/व्यवसायी है और उसके पास एक महान व्यक्ति है।

घाटी में प्रभाव, जैसा कि पीडब्लू48 के बयान में आया है। सभी गवाह आवेदक/अभियुक्त को जानते हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रभावित करने/डराने-धमकाने की पूरी संभावना है।

उसकी रिहाई की स्थिति में गवाहों/सबूतों के साथ छेड़छाड़

यहां तक कि अंतरिम जमानत पर भी।

4. प्रत्यर्थी ने स्वास्थ्य डी. एस. पर जमानत देने का भी अनुरोध किया था, जिस याचिका पर विधिवत विचार किया गया और निम्नलिखित में खारिज कर दिया गया।

5 :

" 8.2 मैंने दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विधिवत विचार किया है। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि जब भी अभियुक्त द्वारा अनुरोध किया जाता था, उसे समय-समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता था। इस अदालत के निर्देशों के अनुसार, आरोपी को आवश्यक चिकित्सा जांच के लिए भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थान/एम्स ले जाया गया। यह उचित रूप से प्रदान किए जाने के अलावा था

जेल अस्पताल में चिकित्सा सहायता और डॉ. आर. एम. एल. अस्पताल में 01.09.2017 से 05.09.2017 तक रोगी उपचार। दिनांक 26.09.2017 की चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, सीने में दर्द के लिए डॉ. आर. एम. एल. अस्पताल में आरोपी का व्यापक मूल्यांकन किया गया था और हृदय रोग के कारण को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद भी, केंद्रीय जेल अस्पताल में आरोपी की समीक्षा की गई और विस्तृत रक्त जांच की गई और दवा प्रदान की गई। उसकी चिंता, पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द और 24.09.2017 पर मलाशय से रक्तस्राव की शिकायत पर, आरोपी को एम. आई. कक्ष, औषधालय, केंद्रीय जेल में भर्ती कराया गया था।

थोड़े अंतराल पर समीक्षा की गई और सभी को सलाह दी गई दवाएँ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

8.3 यह 03.01.2018 दिनांकित ऑर्डर शीट में भी आया है कि

एम्स नई दिल्ली से प्राप्त अभियुक्त की चिकित्सा रिपोर्ट में अभियुक्त का मूल्यांकन सात विशिष्टता/सुपरस्पेशलिटी ओ. पी. डी. में किया गया था, लेकिन वह किसी विशेष बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया।

उनके टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हाइपोथायरायडिज्म के ज्ञात इतिहास के लिए जिसके लिए आवश्यक दवाएं ली जानी चाहिए

नियमित रूप से, पहले से ही निर्धारित किए गए थे। अभियुक्त का कोलोनोस्कोपी परीक्षण 15.01.2018 के लिए निर्धारित किया गया था। मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी, तिहाड़, नई दिल्ली से प्राप्त आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली की मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एम्स अस्पताल में अपना इलाज जारी रखने के लिए कई बार परामर्श दिए जाने के बावजूद आरोपी ने इलाज/आगे के प्रबंधन के लिए एम्स जाने से इनकार कर दिया। 9.0 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त को न केवल जेल के अंदर बल्कि एम्स और अन्य संस्थानों में भी आवश्यक चिकित्सा सहायता/उपचार प्रदान किया जा रहा है।

सरकार. अस्पताल। इस प्रकार, रेदुअल हुसैन खान के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, कोई आधार नहीं है।

स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने के लिए बनाया गया है। 9.1 हालाँकि, जेल अधीक्षक को प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है

आवेदक/अभियुक्त को उचित चिकित्सा देखभाल और उपचार, जैसा कि अनुरोध/आह्वान किया गया है।

5. प्रत्यर्थी ने धारा 21 (1) के तहत 2018 की आपराधिक अपील No.768 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को उठाया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 21 (4)। उच्च न्यायालय ने देखा कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, आरोपी Nos.11 और 12 को नियमित जमानत दी गई थी, जबकि आरोपी Nos.1 और 2 को गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) सहित शेष अभियुक्त न्यायिक हिरासत में थे। प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) को 17 अगस्त, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में था। जैसा कि आरोप पत्र में बताया गया है, उनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17.6 में संशोधन किया। 5 से आगे

आरोप-पत्र [दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 173 के तहत रिपोर्ट] और जवाब के खिलाफ आरोपों का सारांश दिया। (अभियुक्त No.10) इस प्रकार हैः

" 18. पैराग्राफ 17.6 में लगाए गए आरोप अपीलार्थी के लिए विशिष्ट हैं। 5 आरोप-पत्र जिसका उपशीर्षक 'हवाला' है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह अपीलार्थी के खिलाफ प्रमुख आरोप होने के कारण, इसे संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

(i) अपीलकर्ता जम्मू और कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत के तटवर्ती स्थानों से धन लाने के माध्यमों में से एक है। एक बार फिर उसी दोषारोपण का संदर्भ दिया गया है

दस्तावेज़ अर्थात डी No.132 (ए)। ((ii) ए-10 तट से बाहर के स्थानों से भारत में धन ला रहा था।

" इसे कई फर्मों और कंपनियों के माध्यम से स्तरित करके उन्होंने खोला है। जे एंड के बैंक में अपीलार्थी के एन. आर. ई. खाते का संदर्भ दिया जाता है, जहाँ 2011 से 2013 तक कहा जाता है कि उसे Rs.93,87,639 प्राप्त हुआ था। 31 'अज्ञात स्रोतों' से।

(iii) अपीलार्थी 'अन्य' के तहत विदेशी प्रेषण दिखा रहा था।

आय 'उनके स्वामित्व मेसर्स ट्रिसन इंटरनेशनल, श्रीनगर में। 2011 से 2016 तक अपीलार्थी को विभिन्न खातों में रुपये 2,26,87,639.31 की राशि में विदेशी प्रेषण प्राप्त हुए थे। यह है। उन्होंने दोहराया कि 2011 से 2013 तक उनके एनआरई खाते में Rs.93,87,639.31 प्राप्त हुआ था।

एमिरेट्स (यू. ए. ई.) ने टी. एफ. सी. पी. एल. के साथ एक समझौता किया, जिसके प्रबंध निदेशक ('एम. डी.') भूमि लेने के लिए अपीलकर्ता हैं। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में प्रीमियम के रूप में 6 करोड़ रुपये की राशि और 40 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए 1,000/- रुपये के वार्षिक किराए पर लीज पर 20 कनाल, जिसे आपसी समझौते के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। उक्त समझौते में, टी. एफ. सी. पी. एल. को टी. आई. एन. एल. निवेश एजेंसी v घोषित किया गया था।

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भूमि के पूर्ण स्वामी के रूप में। श्री कपूर ने कुल रु. 2013 और 2016 के बीच अपीलार्थी को 22 किश्तों में ₹1 करोड़।

इसके अलावा, यह पता लगाया गया कि श्री कपूर द्वारा अज्ञात स्रोतों से 1,000 रुपये जुटाए गए थे और अपीलार्थी को भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर देने के लिए भेजा गया था जो टी. एफ. सी. पी. एल. के नाम पर भी मौजूद नहीं है और इसलिए समझौते में कानूनी पवित्रता का अभाव है। एन. आई. ए. के अनुसार, यह "साबित करता है कि उक्त समझौता अपीलार्थी द्वारा अज्ञात स्रोतों से भारत में विदेशी प्रेषण लाने के लिए बनाया गया था"।

(vii) चार्टर्ड एकाउंटेंट ('सीए') जिन्होंने मैसर्स ट्रिसन इंटरनेशनल की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए। , टी. एफ. सी. पी. एल. और मेसर्स यासिर एंटरप्राइजेज ने 2013-14 और 2015-16 "के बीच विभिन्न वर्षों तक काम किया।

इसलिए बिना किसी सहायक दस्तावेज को देखे "। एन. आई. ए. के अनुसार, उपरोक्त संस्थाओं/कंपनियों की बैलेंस शीट थी विज़किड कार्यालय, श्रीनगर से मुस्ताक मीर, लागत लेखाकार और शब्बीर मीर, सीए द्वारा ईमेल के माध्यम से सीए को भेजा गया और उन्हें बिना कोई दस्तावेज दिखाए दिल्ली में उन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। एन. आई. ए. के अनुसार, इससे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता अज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन को भारत भेज रहा था।

(viii) टी. एफ. सी. पी. एल. ने कंपनी के निदेशकों, अर्थात अपीलार्थी, उनकी पत्नी और उनके तीन बेटों से वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) में नकद और चेक दोनों के रूप में 532/- रुपये का असुरक्षित ऋण जुटाया और इसका उपयोग जे. एंड के. बैंक की बही में 353/- रुपये के सुरक्षित ऋण को चुकाने के लिए किया गया। निदेशकों के पास धन का स्रोत अपीलार्थी द्वारा संतोषजनक रूप से समझाया नहीं जा सका।

अपीलार्थी "पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के साथ अपनी निकटता दर्शाता है"। यह. कहा गया है कि अपीलार्थी के कैशियर-सह-लेखाकार गुलाम मोहम्मद के घर से जब्त किए गए विदेशी योगदान के दस्तावेज़ में तारिक शफी का नाम है।

"[2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. उच्च न्यायालय ने भी उनके खिलाफ आरोपों को स्वीकार किया

प्रतिवादी (अभियुक्त सं. 10) ने आरोप पत्र के पैराग्राफ 17.9 और <आई. डी. 2 में, इस प्रभाव के लिए कि सी. डी. आर. ने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया, यह खुलासा किया कि अभियुक्त व्यक्ति "एक दूसरे के संपर्क में थे, कुछ आतंकवादियों/ओ. जी. डब्ल्यू. (ओवर ग्राउंड वर्कर) और हवाला माध्यम" यानी प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) और अन्य अभियुक्तों के साथ, कि प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) ए-3, ए-4, ए-5 और ए-6 के साथ टेलीफोन पर लगातार संपर्क में था और ए-3 से ए-12 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के संपर्क में थे। शुल्क के अनुच्छेद 17.10 में

पत्र में कहा गया है कि प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) एक ज्ञात हवाला विक्रेता और वित्तपोषक था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे।

जिनकी जाँच सहायक जाँच एजेंसी द्वारा की जा रही थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र में न तो प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज और जांच किए जा रहे अन्य मामलों का विवरण दिया गया है और न ही अदालत को इसके विवरण का खुलासा किया गया है। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 18.10,18.13 और 18.14 में प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) के खिलाफ आरोपों को भी नोट किया, जिसमें ए-3 से ए-10 के बीच संबंध का खुलासा किया गया है और ए-1 और ए-2 और अन्य हुर्रियत नेताओं के समर्थन में साजिश रचने में उक्त अभियुक्त के दिमाग की स्पष्ट बैठक का संकेत दिया गया है।

J & K में अन्य आतंकवादी संगठन।

7. से निकले प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देने के बाद

हितेंद्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) और निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी (ऊपर) में स्पष्टीकरण के आलोक में गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 ("टाडा") और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 ("मकोका") ने खुद से सवाल किया कि क्या वर्तमान मामले में एन. आई. ए. द्वारा एकत्र की गई सामग्री ने निचली अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया होगा कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) प्रथम दृष्टया सही था। इस पर ध्यान देने के बाद, इसने पाया कि धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज प्रस्तावित/संभावित गवाहों के बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं हैं। इनका उपयोग केवल उन गवाहों का सामना करने के लिए किया जा सकता था जो बाद में मुकदमे में पेश होंगे। इसने नोट किया कि इस महत्वपूर्ण पहलू को

उस स्तर पर ऐसे बयानों का उल्लेख करते समय ध्यान में रखा जाए।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उच्च न्यायालय ने तब नोट किया कि जांच एजेंसी ने आई. डी. 1 की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए थे, लेकिन उन्हें आरोप पत्र के साथ संलग्न एक सीलबंद लिफाफे में रखा था। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि सीरियल Nos.277 और 278 में दिए गए बयान क्रमशः संरक्षित गवाहों "चार्ली" और "रोमियो" के थे, और सीरियल Nos.279 से 284 में दिए गए बयानों को संरक्षित गवाहों के बयान के रूप में वर्णित किया गया था।

गवाह "रोमियो", "अल्फा", "गामा", "पाई", "पॉटर", "हैरी" और "XXX"। इन बयानों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था।

प्रतिवादी (अभियुक्त No.10)। इसके अलावा, इन बयानों को संभवतः नामित न्यायालय द्वारा पढ़ा नहीं गया था। विशेष रूप से, उन गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1967 के अधिनियम की धारा 44 के तहत जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन नामित अदालत के समक्ष लंबित रहा। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, नामित न्यायालय द्वारा 11 जनवरी, 2019 को पारित आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन का निर्णय जांच एजेंसी के पक्ष में किया गया है। हम इसका उल्लेख कुछ समय बाद करेंगे।

8. उच्च न्यायालय के फैसले पर लौटते हुए, इसने राय दी कि Cr.P.C की धारा 164 के तहत उक्त बयानों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

क्योंकि उसकी प्रतियाँ प्रत्यर्थी को प्रदान नहीं की गई थीं। इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1967 के अधिनियम की धारा 44 ने केवल ऐसे गवाहों की पहचान और पते को न्यायालय द्वारा गुप्त रखने की अनुमति दी। इसने अभिनिर्धारित किया कि एन. आई. ए. की धारा 17 या 1967 के अधिनियम की धारा 44 को धारा 173 के साथ पठित धारा 207 के अपवाद के रूप में पढ़ना संभव नहीं था, जो यह आदेश देता है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए अन्य दस्तावेजों की प्रतियां बिना किसी देरी के और निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके बाद यह Cr.P.C की धारा 207,161,164 और 173 के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा। और राय दी कि Cr.P.C की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के संबंध में भी, अभियुक्त को प्रदान किए जाने से पूरे दस्तावेज़ का कोई थोक बहिष्कार नहीं था। दस्तावेज़ के ऐसे हिस्से का संशोधन करने की अनुमति दी गई थी जो बयान देने वाले की पहचान और पते को प्रकट कर सकता था। यह ध्यान दिया जाए कि उच्च न्यायालय ने धारा 44 के तहत जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पर पहले निर्णय लेने के लिए नामित न्यायालय को निर्देश देना आवश्यक नहीं समझा।

1967 प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील की सुनवाई से पहले कार्य करें। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने उन्हें बाहर करना पसंद किया

बयानों को विचार से सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच एजेंसी। उच्च न्यायालय ने के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णय को अलग किया और जांच एजेंसी द्वारा अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए दबाव डाला कि यह आवश्यक नहीं है कि आरोप पत्र में साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए, और यह कि निचली अदालत को न केवल आरोप पत्र में दिए गए विवरण पर बल्कि उसके साथ आने वाले सभी दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने राय दी कि 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी (5) के प्रावधान के संदर्भ में अभियुक्त पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ के संदर्भ में, यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम नहीं था कि वहाँ उचित था। यह दिखाने के लिए कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच था, धारा 164 Cr.P.C के तहत बयानों के लिए आरोप पत्र में किसी भी संदर्भ का अभाव, जो धारा 161 Cr.P.C के तहत बयानों की तुलना में अधिक संभावित मूल्य के हैं, महत्वपूर्ण था। इस प्रकार यह पाया गया कि इस तरह के बयानों को आरोपी से दूर नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज संरक्षित गवाहों के बयानों को उच्च न्यायालय द्वारा विचार से बाहर रखा गया था, जिसमें पक्षों को उचित स्तर पर स्वतंत्र रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता थी।

9. इसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोप-पत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेज़ डी-132 (ए) की प्रभावकारिता का तुरंत विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े। गुलाम मोहम्मद भट्ट के बयान के आलोक में, जिनसे वह बरामद किया गया था, उसने विवादित फैसले के पैराग्राफ 61 में उल्लेख किया कि यह संभावना नहीं थी कि दस्तावेज़ डी-132 (ए) गुलाम मोहम्मद भट्ट के आवास से 16 अगस्त, 2017 तक बरामद किया गया था, और उसके बाद इस प्रकार अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ाः

" 62. जबकि वास्तविकता और प्रमाणिक मूल्य

मुकदमे में एन. आई. ए. द्वारा दस्तावेज़ 132 (ए) अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि एन. आई. ए. द्वारा इस एक दस्तावेज़ पर अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले के लिए केंद्रीय होने के रूप में भरोसा किया जा रहा है, यह अपरिहार्य है कि निचली अदालत और अब इस अदालत को इसके लिए कुछ विस्तार से चर्चा करनी होगी।

5 (1991) 3 एस. सी. सी. 655 टी. आई. एन. एल. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v. ज़हूर अहमद

शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह तय करने का उद्देश्य कि क्या अपीलार्थी को रिहा किया जा सकता है जमानत।

63. सवाल यह उठता है कि क्या दिखाने के लिए कुछ है।

दस्तावेज़ सं. 132 (क) कि प्रत्येक तिथि पर प्रविष्टि के विरुद्ध दिखाए गए आंकड़े (धन की विशिष्ट राशि होने का तात्पर्य) वास्तव में अपीलार्थी द्वारा अपने व्यक्तिगत खातों में या अपनी किसी भी संस्था के खाते में प्राप्त किए गए थे। हालांकि एन. आई. ए. का मामला यह है कि धन प्राप्त हो गया है, लेकिन कोई दस्तावेज या बयान नहीं है, जो वास्तव में आरोप पत्र का हिस्सा है। यह इंगित करता है।

64. उपरोक्त दस्तावेज़ पर एन. आई. ए. द्वारा भी भरोसा किया जाता है क्योंकि

अपीलार्थी के ए-1 से जुड़ाव का प्रमाण प्रदान करने के माध्यम से

पीएचसी। 65. आरोप पत्र में एन. आई. ए. का मामला यह है कि वही दस्तावेज इस तथ्य का भी प्रमाण है कि इस तरह से प्राप्त धन हुर्रियत नेताओं को दिया गया था। उपरोक्त दस्तावेज़ के चौथे कॉलम का संदर्भ दिया गया है जहाँ कुछ हुर्रियत नेताओं के नामों का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि धन अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया था और फिर उसके द्वारा किसी भी नामित हुर्रियत नेता को प्रेषित किया गया था। न ही श्री भट्ट सहित किसी भी 'संभावित गवाह' को बनाया गया है

उस प्रभाव का कोई भी कथन।

66. श्री लूथरा ने आग्रह किया कि दस्तावेज़ के दाहिने हाथ के निचले कोने में अपीलार्थी के हस्ताक्षर की पुष्टि हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा अपीलार्थी के नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने के लिए की गई है। जवाब में श्री विकास पाहवा ने बताया कि अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील ने कहा कि केवल इस तथ्य का कि अपीलार्थी के हस्ताक्षर दस्तावेज़ पर दिखाई दिए, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने वास्तव में दस्तावेज़ की सामग्री की सच्चाई को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर किए थे। उनके अनुसार, यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या [2019] 5 एस. सी. आर.

जब अपीलार्थी ने कागज पर हस्ताक्षर किए, यदि बिल्कुल भी हो, तो एक खाली हरे कानूनी आकार के कागज पर अपने हस्ताक्षर करें जो तब हो सकता है

68. इन परिस्थितियों में, न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि टाइप की गई प्रविष्टियों वाली और ढीले रूप में कागज की एक शीट, अपीलार्थी या उसकी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से रखे जाने वाले लेखा पुस्तकों का हिस्सा, अपीलार्थी को उस अपराध से 'प्रथम दृष्टया' जोड़ने के लिए सामग्री का गठन कर सकता है जिसके साथ उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि यह

दस्तावेज़ अन्य अभियुक्त के साथ अपीलार्थी के संबंध को दर्शाता है क्योंकि आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में तार्किक या कानूनी रूप से नहीं है

दस्तावेज़ के एक सादे पढ़ने से प्रवाहित होता है।

चार्ज-शीट में एड। पुनरुत्पादन करना उचित हो सकता हैइस संबंध में विवादित निर्णय से चींटी उद्धरण, जो पढ़ता है

" 69. श्री लूथरा ने तब मुस्ताक अहमद मीर और शब्बीर अहमद मीर के बयानों, श्री मुस्ताक अहमद मीर (पूर्व-डी-214) के जवाब, 6 नवंबर, 2017 की सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट का उल्लेख किया। (दस्तावेज़ डी-154); अपीलार्थी के निवास से की जा रही बरामदगी के संबंध में 3 जून, 2017 का ज़ब्ती ज्ञापन (दस्तावेज़ डी-3); टी. एफ. सी. पी. एल. के कार्यालय से बरामदगी की उसी तारीख का ज़ब्ती ज्ञापन (दस्तावेज़ डी-4); और अपीलार्थी से ज़ब्त किए गए दस्तावेजों का गुच्छा [डी-4 (ई)]

विचारण न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट।

70. अंतिम संदर्भित दस्तावेज़, [डी-4 (ई)] से शुरू होकर, यह वास्तव में दस्तावेजों का एक समूह है, जिनमें से पहला एक पत्र है जो टीआईओएनएल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v का है।

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना के साथ उन्हें गुलदस्ता भेजा गया। 71. फिर 20 नवंबर, 2007 को आजाद जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति, चैंबर्स ऑफ कश्मीर की ओर से एक पत्र है।

वाणिज्य और उद्योग, अपीलार्थी को संबोधित करते हुए, अपीलार्थी को श्रीनगर में एक मानद व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हुए। यह नोट करता है कि पाकिस्तान और भारत ने हाल के दिनों में कश्मीर के दोनों ओर के कश्मीरियों को राहत प्रदान करने के लिए कश्मीर से संबंधित कई सी. बी. एम. (विश्वास निर्माण उपाय) शुरू किए/किए हैं।

एलओसी (नियंत्रण रेखा):

' 1.पाकिस्तान और भारत ने नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के कश्मीरियों को राहत प्रदान करने के लिए हाल के दिनों में कश्मीर से संबंधित कई सी. बी. एम. शुरू/शुरू किए हैं। ऐसा ही एक सी. बी. एम. जो सक्रिय रूप से विचाराधीन है, वह है कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच व्यापार की शुरुआत। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं सहित आवश्यक तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।

72. अन्य दस्तावेज अपीलार्थी की व्यावसायिक संस्थाओं और लाहौर में मुख्यालय वाले अल-शफी ग्रुप ऑफ कंपनीज सहित अन्य संस्थाओं के बीच नियमित रूप से किए गए पत्राचार को दर्शाते हैं। 7 फरवरी, 2014 को मोहम्मद द्वारा अपीलार्थी को एक व्यावसायिक निमंत्रण दिया गया था। अल-शफी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक तारिक शफी व्यापार वार्ता के लिए उनसे मिलने आए। उसी तारीख का एक पत्र है

श्री मोहम्मद द्वारा संबोधित। तारिक शफी नई दिल्ली में पीएचसी के लिए

अपीलार्थी को पाकिस्तान व्यापार वीजा का अनुदान। 73. इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एन. आई. ए. इस बात पर विवाद नहीं करता है कि अपीलार्थी कश्मीर में एक प्रमुख व्यवसायी है। वह व्यावसायिक संस्थाओं का एक समूह चलाते हैं और इसमें सक्रिय रहे हैं

भारत-पाकिस्तान व्यापार का संदर्भ। दस्तावेजों के पूरे समूह से इस न्यायालय को कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो

सुझाव है कि इन व्यापार गतिविधियों के वित्तपोषण की दिशा में तैयार किया गया था

आतंकवादी गतिविधियाँ, जैसा कि आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है।

11. उच्च न्यायालय ने तब मुस्ताक अद मीर और शब्बीर अहमद मीर के बयानों को स्वीकार किया और कहा कि उनमें कोई [2019] 5 एस. सी. आर. नहीं था।

साक्ष्य मूल्य क्योंकि वे केवल धारा 161 Cr.P.C के तहत बयान थे और भले ही उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हों, वे केवल यह इंगित करेंगे कि खातों में कुछ प्रविष्टियां और विशेष रूप से, क्रेडिट प्रविष्टियों के स्रोत को ठीक से समझाया नहीं गया था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी की संस्थाओं के खातों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाता था और प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि ये अज्ञात स्रोत वास्तव में अन्य अभियुक्तों से जुड़े थे और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान या संयुक्त अरब अमीरात से धन प्राप्त किया गया था। न्यायालय ने कहा कि केवल लेखापरीक्षित खातों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ होना चाहिए जिसमें प्रविष्टियां हो सकती हैं जिनके लिए आयकर अधिकारियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जांच एजेंसी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे न्यायालय को प्रथम दृष्टया ऐसा करने के लिए राजी नहीं करते थे यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रत्यर्थी को ए-1 या पाकिस्तान उच्चायोग या अन्य लोगों से धन प्राप्त हुआ और वह उक्त धन को आतंकवादी गतिविधियों और पथराव के वित्तपोषण के लिए हुर्रियत नेताओं को दे रहा था। उच्च न्यायालय ने ए-4 और ए-6 के साथ प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) की निकटता के बारे में 'संरक्षित गवाह' डब्ल्यू-48 के बयान को भी स्वीकार किया और राय दी कि इसे ऐसी सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है जो

अभियोजन पक्ष को यह दिखाने में सक्षम बनाएँ कि प्रतिवादी के खिलाफ उसकी आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के बारे में आरोप प्रथम दृष्टया सच था। अंत में, उच्च न्यायालय ने नवल किशोर कपूर से जुड़े पट्टे के लेन-देन पर विचार किया और इस प्रकार टिप्पणी की:

कश्मीर में अधिवासित व्यक्ति वहां संपत्ति रख सकते हैं। कंपनियों द्वारा भूमि के 'स्वामित्व' की कोई घोषणा नहीं की गई थी और किसी भी स्थिति में यह पट्टा था। पट्टा अपने आप में एक नकली लेनदेन नहीं दिखाया गया है। जहां तक एन. आर. ई. खाते का संबंध है, यह बताया गया है कि इसे बंद कर दिया गया है और जुर्माने की राशि का भी भुगतान किया गया है। जहाँ तक सी. डी. आर. का संबंध है, यह बताया गया है कि अपीलार्थी और ए-6 के बीच कॉल का आदान-प्रदान हो सकता है, लेकिन नहीं। अपीलार्थी और ए-3, ए-4 या ए-5 के बीच। इस स्तर पर इसे यह दिखाने के लिए सामग्री नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी और ए-6 के बीच आपराधिक साजिश का आरोप

आतंकवादी अपराधों का होना प्रथम दृष्टया सच है। इस अपील की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि न तो एपीएचसी और न ही इसके 26 घटक संगठनों में से कोई भी यूएपीए के अर्थ में 'प्रतिबंधित' संगठन नहीं है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v.

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

12. इस प्रकार कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नामित न्यायालय द्वारा पारित आदेश गुप्त था और

तथ्यों और कानून दोनों में अस्थिर। इसके बाद यह देखा गया कि पिछले अपराधी का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था प्रतिवादी की किसी भी अपराध में संलिप्तता या प्रतिवादी के न्याय से भागने की संभावना, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, प्रतिवादी जो एक सेप्टुआजेनेरियन था और विभिन्न चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित था, एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था और उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी या किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था।

' संभावित/संरक्षित 'गवाह। इसके बाद उच्च न्यायालय ने देवेंद्र गुप्ता बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कथन पर भरोसा किया।

और संजय चंद्र बनाम सी. बी. आई. 7. अंत में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया और विवादित फैसले के समापन भाग में बताई गई शर्तों के अधीन उस संबंध में निर्देश जारी किए।

जो इस प्रकार हैः

" निष्कर्ष

82. निचली अदालत के 8 जून, 2018 के विवादित आदेश को तदनुसार खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है बशर्ते वह 2 लाख रुपये की राशि का व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे।

विचारण न्यायालय, और आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

(i) अपीलार्थी आवश्यकता पड़ने पर मामले के प्रभारी आई. ओ. को रिपोर्ट करेगा। वह आई. ओ. के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट को वह मोबाइल फोन प्रदान करेगा जिस पर उससे संपर्क किया जा सकता है और उसका वर्तमान पता जहां वह उपलब्ध होगा। वह आई. ओ. और ट्रायल कोर्ट दोनों को तुरंत सूचित करेगा यदि ऐसा है।

दोनों में कोई भी परिवर्तन।

(ii) वह 40 अभियोजन गवाहों के प्रस्तावित/संभावित पृष्ठ 40 को प्रभावित या भयभीत नहीं करेगा या मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

किसी भी तरह से।

(iii) अपीलार्थी जमानत बांड के निष्पादन के समय निचली अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट सौंप देगा। वह नहीं करेगा।

मुकदमे की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा करें

अदालत।

(iv) यदि उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो एन. आई. ए. के लिए इसे रद्द करने के लिए निचली अदालत में आवेदन करने का अधिकार होगा।

जमानत।

83. यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्यों और कानून दोनों पर इस आदेश में इस न्यायालय की टिप्पणियां आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री पर आधारित हैं और प्रथम दृष्टया प्रकृति में हैं और जमानत देने के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं। उनका उद्देश्य निचली अदालत के फैसलों को प्रभावित करना नहीं है।

इसके बाद के मामले के किसी भी स्तर पर।

84. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

13. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण की जाँच एजेंसी-यहाँ अपीलार्थी द्वारा विभिन्न मामलों में आलोचना की गई है।

अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने वस्तुतः एक लघु परीक्षण किया है और यहां तक कि जांच एजेंसी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता पर भी सवाल उठाया है। उस में, उच्च न्यायालय ने एक

पाकिस्तान के उच्चायोग के किसी भी अधिकारी को आरोपी के रूप में नामित नहीं करने या अस्पष्ट कारणों से गवाह के रूप में उनके बयान दर्ज नहीं करने के लिए जांच एजेंसी के साथ गलती खोजने में जिज्ञासु दृष्टिकोण। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की अनदेखी की कि उच्चायोग के अधिकारियों को राजनयिक छूट दी गई है। नहीं।

केवल यह कि, आई. डी. 1 की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि वे साक्ष्य में अस्वीकार्य थे और इसे राय बनाने के लिए विचार से खारिज कर दिया कि क्या प्रतिवादी (अभियुक्त) के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच थे। हालाँकि, अदालत सलीम खान बनाम में स्पष्टीकरण के आलोक में Cr.P.C की धारा 161 के तहत दर्ज सभी बयानों पर विचार करने के लिए बाध्य थी। संजय सिंह और इसी तरह, धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान, जो एक सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए थे, पूरी तरह से खारिज कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, कम से कम कहने के लिए, विद्वान का तर्क देता है

जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार। उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण है

8 (2002) 9 एस. सी. सी. 670 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विकृत होने की सीमा पर क्योंकि इसने वस्तुतः एक छोटा परीक्षण किया है

जमानत के लिए प्रार्थना के विचार का चरण। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी के खिलाफ दायर आरोप-पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य, संभावित गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य थे जो अभियुक्त की संलिप्तता का संकेत देते थे।

प्रतिवादी और इस पहलू को मजबूत किया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के स्तर पर जमानत पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और बिना किसी और चीज के इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह के साक्ष्य की स्वीकार्यता का सवाल मुकदमे का विषय होगा। की पर्याप्तता या अपर्याप्तता

जमानत देने के अनुरोध का जवाब देने के लिए साक्ष्य आधार नहीं हो सकता है। यह है।

उन्होंने तर्क दिया कि संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज संरक्षित गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद, यह प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सच होने के रूप में पुष्ट करता है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) द्वारा जमानत के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

कथित अपराधों का आयोग और कि दस्तावेज़ और जाँच एजेंसी द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जो प्रथम दृष्टया सच होने के रूप में बहुत कम थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप

दस्तावेज़ कागज का एक खुला टुकड़ा है और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के अधिदेश को देखते हुए नहीं देखा जा सकता है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम पर निर्भरता रखी गई है। वी. सी. शुक्ला और अन्य। ' किसी भी मामले में, उक्त दस्तावेज़ स्वयं यह नहीं बता सकता है और न ही प्रथम दृष्टया यह सुझाव देता है कि धन, जैसा कि दिखाया गया है, दस्तावेज़ में वर्णित तरीके से प्राप्त और वितरित किया गया था। इसके अलावा, आकर्षित करने में प्रतिवादी की मिलीभुगत को स्थापित करने के लिए कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा रही है 9 9 (1998) 3 एससीसी 410 [2019] 5 एस. सी. आर.

1967 अधिनियम की धारा 17 की अनिवार्यताएँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही उक्त दस्तावेज़ की सामग्री को आरोपी नंबर 4 (अल्ताफ अहमद शाह @फंटूश) के अपवाद के साथ, जैसा है वैसा ही लिया गया हो, कोई अन्य व्यक्ति जिसे

जिस राशि का भुगतान किया गया था या जिससे राशि प्राप्त हुई थी, उसे आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धारा 161 या Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों में कथित अपराधों को करने में प्रतिवादी की संलिप्तता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। सह-अभियुक्त के बयानों को स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, प्रतिवादी के खिलाफ बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, प्रतिवादी की संलिप्तता का संकेत देने के लिए कोई सबूत नहीं था

आतंकवादी गतिविधि के संबंध में बड़ी साजिश बहुत कम है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सामग्री का विश्लेषण करने में खुद को संतुष्ट करने के लिए उचित ठहराया था कि क्या प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच थे। रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम स्टेट ऑफ इंडिया में व्याख्या के संदर्भ में उस जांच की अनुमति थी। महाराष्ट्र और अन्र। 1 0 और चेन्ना बोयन्ना कृष्ण यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य और Anr.[1] प्रत्यर्थी के अनुसार, नहीं

उच्च न्यायालय में त्रुटि पाई जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अंत में यह

प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय, यदि वह चाहता है, तो अतिरिक्त अधिरोपित कर सकता है उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत के आदेश को बरकरार रखते हुए शर्तें।

15. प्रतिद्वंद्वी की दलीलों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए विचार किए जाने वाले मामलों के बारे में तय की गई कानूनी स्थिति को फिर से बताना उचित है, जैसे कि (i) यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि आरोपी ने अपराध किया था; (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; (iv) जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने या भागने का खतरा; (v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और आरोपी की स्थिति; (vi) अपराध की संभावना। अपराध दोहराया जा रहा है; (vii) गवाहों की उचित आशंका

छेड़छाड़ की जा रही है; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय बाधित होने का खतरा है। (सी. बी. आई. बनाम के माध्यम से यू. पी. राज्य। अमरमणि त्रिपाठी 1 2)।

16. जब विशेष के तहत दंडनीय अपराधों की बात आती है

1967 के अधिनियम जैसे अधिनियमों को कुछ और रखने की आवश्यकता है। 10 (2005) 5 एससीसी-294

11 (2007) 1 एससीसी 242 12 (2005) 8 एससीसी 21 (पैरा 18)

31 दिसंबर, 2008 से 2008 के अधिनियम 35 द्वारा अंतःस्थापित 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी में निहित विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। इसकी उप-धाराएँ (5), (6) और (7) इस प्रकार हैं:

" 43 डी. के कुछ प्रावधानों का संशोधित अनुप्रयोग कोड। - XXX

XXX

X

XX

XXX

(5) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई व्यक्ति नहीं

के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध का अभियुक्त

यदि यह अधिनियम अभिरक्षा में है तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

जब तक कि लोक अभियोजक को एक अवसर नहीं दिया गया है

इस तरह की रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई की जा रही है:

बशर्ते कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा या

अपने स्वयं के मुचलके पर यदि न्यायालय, केस डायरी के अवलोकन पर या

संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट की राय है कि

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप

ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया सच है।

(6) उप-धारा (5) में निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध

संहिता या किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंधों के अलावा है जमानत देने पर कुछ समय के लिए लागू।

(7) उप-धारा (5) में किसी बात के होते हुए भी और

(6) , अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को कोई जमानत नहीं दी जाएगी।

इस अधिनियम के तहत दंडनीय, यदि वह भारतीय नागरिक नहीं है और

देश में अनधिकृत रूप से या अवैध रूप से प्रवेश किया, सिवाय इसके कि असाधारण परिस्थितियों और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए

लिखना "।

17. उप-धारा (5) के परंतुक के आधार पर, यह इसका कर्तव्य है

न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच या अन्यथा है। हमारा ध्यान इस न्यायालय के फैसलों की ओर आकर्षित किया गया था, जिसे टाडा और मकोका में इसी तरह के विशेष प्रावधानों से निपटने का अवसर मिला है। 1967 के अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय उन निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांत का कुछ असर हो सकता है। विशेष रूप से, टाडा, मकोका और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 जैसे विशेष अधिनियमों के तहत, [2019] 5 एस. सी. आर.

सच है। अपनी प्रकृति से, "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति का अर्थ यह होगा कि जांच एजेंसी द्वारा पहली गठन रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य, तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा विरोधाभासी और पराजित या अप्रमाणित नहीं किया जाता है, और इसके बावजूद, उक्त अपराध को करने में ऐसे अभियुक्त की संलिप्तता को दर्शाता है। यह किसी दिए गए तथ्य या कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या खंडन न किया जाए। एक मायने में, जब न्यायालय को राय देनी होती है तो संतुष्टि की मात्रा कम होती है कि आरोप "प्रथम दृष्टया सत्य" है, अभियुक्त की राय की तुलना में ऐसे अपराध के लिए "दोषी नहीं" जैसा कि अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक है। किसी भी मामले में, यह मानने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री, 1967 के तहत अपराधों के संबंध में आरोप तय करने या आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री से कम है।

एक्ट करें। फिर भी, हम रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा (उपरोक्त) के मामले में स्पष्टीकरण से मार्गदर्शन ले सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को जमानत देने के लिए न्यायालय की शक्ति के दायरे पर विचार करने के लिए कहा गया था। पैराग्राफ 36 से 38 में, न्यायालय

इस प्रकार देखा गयाः

" 36. क्या इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले अदालत को, यद्यपि प्रथम दृष्टया, इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है? क्या अदालत के लिए इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करना आवश्यक है? क्या अदालत के पास यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध होगा कि एक बार आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, वह किसी भी तरह का अपराध नहीं करेगा? 37. इस तरह के निष्कर्षों को केवल सामग्री के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से दर्ज किया जाना आवश्यक है।

केवल जमानत देने के लिए और बिना किसी अन्य उद्देश्य के रिकॉर्ड करें।

38. इसके अलावा हमारी राय है कि जमानत देने की अदालत की शक्ति पर प्रतिबंधों को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यदि अदालत, अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, संतुष्ट है कि सभी संभावनाओं में वह अंततः दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो जमानत देने का आदेश पारित किया जा सकता है। जमानत पर रहते हुए अपराध न करने की उसकी संभावना के संबंध में अदालत की संतुष्टि का अर्थ अधिनियम के तहत अपराध के रूप में माना जाना चाहिए न कि कोई अपराध, चाहे वह कोई भी छोटा या बड़ा अपराध हो। ..... अदालत की ओर से आगे जो आवश्यक होगा वह यह है कि अभियुक्त की दोषीता और आयोग में उसकी भागीदारी को देखा जाए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संगठित अपराध। जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालत विचार करेगी।

इस दृष्टिकोण से प्रश्न कि क्या उसके पास अपेक्षित पुरुष अधिकार था।

और फिर से पैराग्राफ 44 से 48 में, न्यायालय ने कहाः

" 44. हमारी राय में, धारा 21 (4) के शब्दों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अदालत को एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि

जमानत के लिए आवेदक ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। यदि ऐसा निर्माण किया जाता है, तो अदालत जमानत देने का इरादा रखती है।

यह निष्कर्ष निकालना होगा कि आवेदक ने ऐसा अपराध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के लिए आवेदक को दोषी ठहराने का निर्णय प्राप्त करना असंभव होगा। विधायिका की मंशा ऐसी नहीं हो सकती। इसलिए, एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 21 (4) का यथोचित अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि अदालत बरी करने और दोषसिद्धि के फैसले और मुकदमा शुरू होने से बहुत पहले जमानत देने के आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो। इसी तरह, अदालत को जमानत देने के बाद उसके अपराध करने की संभावना के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा। हालांकि, भविष्य में ऐसा अपराध अधिनियम के तहत अपराध होना चाहिए न कि कोई अन्य अपराध। चूँकि किसी अभियुक्त के भविष्य के आचरण की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, इसलिए अदालत को अभियुक्त के पूर्ववृत्त, उसकी प्रवृत्तियों और उस प्रकृति और तरीके को ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू पर विचार करना चाहिए जिसमें उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

45. इसके अलावा, यह मामूली बात है कि जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, हालांकि विस्तृत कारण निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, जमानत देने का आदेश अनिवार्य है।

कम से कम गंभीर मामलों में मन के अनुप्रयोग का प्रदर्शन करें कि आवेदक को जमानत का विशेषाधिकार क्यों दिया गया है या उससे वंचित किया गया है। 46. इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना नहीं है, बल्कि व्यापक आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है।

न्यायालय द्वारा जमानत देते समय या अस्वीकार करते समय निस्संदेह अस्थायी प्रकृति का होगा, जिसका मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है और इस प्रकार, विचारण न्यायालय मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामले का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, बिना किसी भी तरह से पूर्वाग्रह के। 47. कल्याण चंद्र सरकार बनाम। राजेश रंजन 1 3 इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी। 537-38 , पैरा 18)

'18 . हम इस बात से सहमत हैं कि बिंदुओं के संबंध में एक निर्णायक निष्कर्ष

दोनों पक्षों द्वारा आग्रह अदालत से अपेक्षित नहीं है

जमानत आवेदन पर विचार करना। फिर भी किसी को यह नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने पूरन बनाम मामले में कहा है। रामबिलास 1 4: (एससीसी

पी। 344 , पैरा 8)

' कारण देना गुण या गुण पर चर्चा करने से अलग है।

अवगुण। जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले के गुण-दोष का विस्तृत प्रलेखन नहीं किया जाना है। ..... इसका मतलब यह नहीं था कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कुछ कारण थे कि जमानत क्यों दी गई।

दिया जा रहा था इंगित करने की आवश्यकता नहीं थी। ' हम इस न्यायालय के उपरोक्त कथन से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

हम यह भी महसूस करते हैं कि जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया कारणों की ऐसी अभिव्यक्ति उन मामलों में कानून की आवश्यकता है जहां

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जमानत आवेदन पर आदेश अपील योग्य हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि अपीलीय अदालत को जमानत देने का आधार जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए, हम विद्वान वकील द्वारा संबोधित तर्क से सहमत नहीं हैं

आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय से भी उम्मीद नहीं की गई थी

जमानत देते समय उसके समक्ष आग्रह किए गए सभी बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष का संकेत दें, विशेष रूप से इसके तथ्यों की पृष्ठभूमि में मामला जहां तथ्यों पर यह स्थापित किया जाता है कि बड़ी संख्या में

जमानत पर रहने की अवधि के दौरान प्रतिवादी के गवाहों ने प्रतिवादी को जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को दूषित कर दिया है। कारावास के आधार के अलावा दूसरा आधार, जिसमें उच्च न्यायालय से जमानत देने की अपील की गई थी, यह तथ्य था कि बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और मुकदमे की कोई संभावना नहीं है निकट भविष्य में समाप्त हो रहा है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मामले के तथ्यों पर यह आधार भी व्यक्तिगत रूप से या कारावास की अवधि के साथ पर्याप्त नहीं है।

प्रतिवादी को गंभीर स्थिति के कारण जमानत पर रिहा करें गवाहों के साथ छेड़छाड़ का आरोप

उत्तरदाता '।

3. जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल बनाम। T.N.15 की यह स्थिति

ऑर्ट ने देखाः (एससीसी पीपी। 21-22 , पैरा 16)

'16 . ..... गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने में आम तौर पर अदालत के साथ विचार करने वाले विचारों को इस न्यायालय द्वारा राज्य v में समझाया गया है। कैप्टन। जगजीत सिंह 1 6 और गुरचरण सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) "और मूल रूप से वे हैं

2 एस. सी. सी 133 एससीआर 622

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध की प्रकृति और गंभीरता; साक्ष्य का स्वरूप; ऐसी परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; अभियुक्त की उपस्थिति के मुकदमे में सुरक्षित नहीं होने की उचित संभावना; गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; जनता या राज्य का व्यापक हित और अन्य समान कारक जो मामले में प्रासंगिक हो सकते हैं।
मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ '।

18. एक प्राथमिकता, इस स्तर पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली कवायद-जमानत देने या न देने के लिए कारण देना-स्पष्ट रूप से है

साक्ष्य के गुण या दोषों पर चर्चा करने से अलग। इस स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कथित अपराध करने या अन्यथा करने में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज करे। विवादित फैसले के विश्लेषण से, हमें यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इसके गुण-दोषों की जांच करने के क्षेत्र में कदम रखा है।

सबूत। क्योंकि, इसने नोट किया कि धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों के रूप में साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी द्वारा सेवा में लगाए गए दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थे। इसने यह भी कहा कि 16 तारीख तक गुलाम मोहम्मद भट्ट के आवास से दस्तावेज बरामद होने की संभावना नहीं थी

अगस्त, 2017 (विवादित फैसले का अनुच्छेद 61)। इसी तरह, Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज संरक्षित गवाहों के बयानों को पूरी तरह से खारिज करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, इस आधार पर कि उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और नामित न्यायालय द्वारा इसका अवलोकन भी नहीं किया गया था और क्योंकि

प्रत्यर्थी के खिलाफ पहले से दायर आरोप पत्र में ऐसे बयान दर्ज नहीं पाए जाने के कारण, हमारी राय में, अपनी राय दर्ज करने के न्यायालय के कर्तव्य की पूरी तरह से अवहेलना है कि - संबंधित अभियुक्त के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है या

अन्यथा। उस राय पर न्यायालय को न केवल एफ. आई. आर. में आरोप के संदर्भ में बल्कि केस डायरी की सामग्री के संदर्भ में और आरोप पत्र (<आई. डी. 1 की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) और जांचकर्ता द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के संदर्भ में भी पहुंचना चाहिए। जाँच के दौरान एजेंसी। यह ध्यान दिया जाए कि विशेष प्रावधान, 1967 अधिनियम की धारा 43 डी, 1967 अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के चरण से लेकर उसके मुकदमे के समापन तक लागू होती है। स्पष्ट रूप से, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद v.

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अभियुक्त के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, लेकिन जाँच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने से पहले; पहला आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद और धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच के परिणामस्वरूप पूरक या अंतिम आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले, आरोप तय होने तक या न्यायालय द्वारा आरोप तय करने और प्रमुख गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने आदि के बाद। हालांकि, एक बार आरोप तय होने के बाद, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि एक बहुत मजबूत संदेह था

न्यायालय के समक्ष सामग्री पर आधारित, जिसने न्यायालय को तथ्यात्मक के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित किया आरोप तय करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध का गठन करने वाले तत्व। उस स्थिति में, अभियुक्त को अदालत को संतुष्ट करने के लिए एक कठिन कार्य करना पड़ सकता है कि आरोप पत्र (आई. डी. 1 की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) के साथ प्रस्तुत सामग्री यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं बनाती है कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। वर्तमान मामले की तरह संहिता की धारा 173 के तहत की गई पहली रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जमानत के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा इसी तरह की राय बनाने की आवश्यकता है।

साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के आधार पर इस स्तर पर दस्तावेज़ को त्यागना अनुमेय नहीं है। क्योंकि, दस्तावेज़/साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा परीक्षण का विषय होगा। न्यायालय को दस्तावेज़ की सामग्री को देखना चाहिए और इस तरह के दस्तावेज़ को ध्यान में रखना चाहिए। 20. सवाल यह है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। इसका जवाब पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत सामग्री सहित सामग्री की समग्रता को ध्यान में रखते हुए देना होगा। यह ध्यान दिया जाए कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) के खिलाफ दायर पहले आरोप पत्र (आगे की जांच लंबित) के हिस्से के रूप में कई दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा है, जो कथित रूप से कथित अपराधों में उसकी संलिप्तता को दर्शाता है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को सौंपे गए चार्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया है। वही, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार पढ़िए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. आई. ए. मामला NO.RC-10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई.

जम्मू और कश्मीर में टेरर फंडिंग

चार्ज-शीट के साथ सबूत मिले

(पूरक आरोप पत्र को छोड़कर)

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली के विरुद्ध (ए-10) दस्तावेजों का विवरण

डी-1 आदेश संख्या प्रदर्शित करें। 1101 1 / 26 / 2017 - IS.IV, दिनांकित श्री का 30.05.2017। एनएस.

बिष्ट, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। एफ. आई. आर. No.RC-10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई. दिनांक 30.05.2017, पीएस एन. आई. ए. नया

डी-2

दिल्ली।

खोज और पुनर्प्राप्ति के संबंध में दिनांकित 03.06.2017 जब्त ज्ञापन

डी-3

अभियुक्त जहूर के परिसर से जब्त की गई वस्तुओं/दस्तावेजों का

अहमद शाह वटाली (ए-10)।

जब्त किए गए तीन सितारा उद्यमों के आयकर रिटर्न

डी-3 ए

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) का परिसर दिनांकित

03.06.2017 .

जेल फार्म और निर्माण प्रा. लि. का आयकर विवरणी। लि.

डी-3 बी

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017 के परिसर से जब्त किया गया।

यामीन जहूर शाह का पावती आई. टी. आर.-4 जब्त

डी-3 सी

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) का परिसर दिनांकित

03.06.2017 .

यावर जहूर शाह का पावती आईटीआर-4 जब्त किया गया

डी-3 डी

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) का परिसर दिनांकित

03.06.2017 .

मेसर्स श्री वाई के आयकर रिटर्न परिसर से जब्त किए गए

डी-3 ई

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017। डी-3 एफ आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली (4-10) के परिसर से जब्त किए गए यासिर एंटरप्राइजेज के संबंध में आयकर रिटम दिनांकित

03.06.2017 .

के परिसर से एक नीले रंग की छोटी पॉकेट डायरी जब्त की गई

डी-3 जी अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017। डी-3 एच आई. डी. डी. कोड और फोन नंबर वाली एक नीली पुस्तिका

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017 के परिसर से जब्त किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल कार्पोरेशन से संबंधित कागजातों का एक गुच्छा। लिमिटेड जब्त किया गया

डी-3 आई

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली के परिसर से (4-10)

दिनांकित 03.06.2017।

जहूर से संबंधित अदालती दस्तावेजों वाला कागजातों का एक गुच्छा

डी-3 जे

अहमद शाह वटाली को आरोपी जहूर के परिसर से जब्त किया गया

अहमद शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विविध प्रकार के कागज़ों का एक गुच्छा। जहूर से संबंधित दस्तावेज

डी-3 के

अहमद शाह को आरोपी जहूर अहमद के परिसर से जब्त किया गया

शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017।

जहूर से संबंधित विभिन्न पत्र शीर्षों वाले पत्रों का एक गुच्छा

डी-31

अहमद को आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) दिनांक 03.06.2017 के परिसर से जब्त किया गया।
के संबंध में उत्पादन सह जब्ती ज्ञापन दिनांक 03.06.2017

डी-4

अहमद शाह वटाली (ए-10) अर्थात ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। लि.
एन. जेड. इंटेमेशनल, यासिर से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां

डी-4 ए

एंटरप्राइजेज, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रिसन इंटरनेशनल, ट्रिसन पावर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, मेसर्स 3 वाई, कश्मीर लिबास उद्योग ने जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) और उसके परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट विवरण के साथ आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली यानी ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट के कार्यालय से जब्त किया। लि.

आदेश संख्या डी. एम. एस./पी. एस. ए./37/2011 दिनांक 28.09.2011 की प्रति जारी की गई

डी-4 बी

श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) यानी ट्रिसन फ़ार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के कार्यालय से ज़ब्त किए गए तारिक अहमद खान @संजमोलवी को हिरासत में लेने के संबंध में आदेश दिया। लि.

एक नीली रंगीन डायरी "एवरग्रीन ट्रेडर्स" जब्त की गई

डी-6 सी

अभियुक्त अल्ताफ अहमद शाह @फंटूश (4-4) के परिसर

03.06.17 .

के परिसर से भारत विरोधी वार्ताओं वाला एक प्रेस नोट जब्त किया गया

डी-6 ई

03.06.17 पर आरोपी अल्ताफ अहमद शाह @फंटूश (ए-4)। डी-6 एफ ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के हस्ताक्षर के तहत 04.08.2016 पर जारी एक कार्यक्रम को आरोपी अल्ताफ अहमद शाह @फंटूश (ए-4) के परिसर से जब्त किया गया।

03.06.17 .

एक पत्र जिसमें अध्यक्ष से प्राप्त राशि का विवरण होता है और

डी-6 ग्राम

अभियुक्त अल्ताफ अहमद शाह @फंटूश (ए-4) के परिसर से जब्त की गई रु. 1,15,45,000/- की राशि दिखा रहे अन्य लोग

03.06.17 .

डी-7 ए

क्षेत्र द्वारा लिखे गए दो अक्षर दिनांकित 10.03.2006 और 17.03.2006)

हिज्बुल मुजाहिदीन (एच. एम.) के कमांडर ने आरोपी नईम खान (ए-5) को आरोपी नईम खान के घर से जब्त किया।

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पत्र प्रमुख

डी-7 बी

(एल. ई. टी.), जम्मू और कश्मीर अभियुक्त के घर से जब्त

नईम खान (ए-5) दिनांकित 03.06.2017।

अभियुक्त नईम खान द्वारा पाकिस्तानी दूतावास को लिखा गया पत्र (ए-5)

डी-7 सी

पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की सिफारिश करने के लिए उसके घर से जब्त किया गया

आरोपी नईम खान दिनांकित 03.06.2017।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नेशनल फ्रंट के पत्र प्रमुख जिसमें पाकिस्तान समर्थक और विरोधी शामिल हैं

डी-7 डी

आरोपी नईम खान (ए-5) के घर से जब्त की गई उर्दू में भारत की बातचीत दिनांक 03.06.2017।
मुजाहिदीन जम्मू और कश्मीर का एक लेटर हेड जब्त किया गया

डी-7 ई अभियुक्त नईम खान (4-5) का घर दिनांक 03.06.2017। डी-7 जी हाथ से लिखे और मुद्रित कागजों का एक गुच्छा जिसमें

वीजा के लिए पाकिस्तानी दूतावास को लिखे गए सिफारिश पत्र

खान (ए-5) दिनांकित 03.06.2017।
शीर्षक वाले पत्र के सिर पर एल. ई. टी. के हस्तलिखित (उर्दू) पत्र

डी-9 ए

" लश्कर-ए-तुईबाह जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर मुख्य कार्यालय

के रूप में
मुजफ्फराबाद "। आरोपी शाहिद-उल-इस्लाम के घर से जब्त किया गया-शाह (4-3) 03.06.2017 पर।

डी-9 बी

आफताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम की तस्वीर एके-47 अन्य कैडरों के साथ उनके आवास से जब्त किया गया

आफताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम (4-3) 03.06.2017 पर। डी-9 सी आफ़ताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम का फ़ोग्राफ (4-3)

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख

सैयद सलाहुद्दीन (ए-2) के आवास से जब्त किया गया

आफताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम (4-3) 03.06.2017 पर। डी-9 डी 04 आफताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम (4-3) के आवास से हाथ से लिखे खुले कागज 03.06.2017 पर जब्त किए गए। डी-9 ई सभी दलों के हुर्रियत सम्मेलन के संबंध में उप उच्चायुक्त, उच्चायोग को संबोधित एक पत्र शीर्ष

मीडिया सलाहकार एपीएचसी, अधिवक्ता से पाकिस्तान नई दिल्ली

वीजा जारी करने के लिए शहिदुल इस्लाम को आवास से जब्त किया गया

आफताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम (ए-3) का 03.06.2017 पर। डी-9 जी में विभिन्न संगठनों के सक्रिय आतंकवादियों की सूची (वर्ष 2016-17)

अफताब हिलाली शाह के आवास से जब्त की गई घाटी @

03.06.2017 पर शाहिद-उल-इस्लाम (4-3)। अफजल गुरु द्वारा हाथ से लिखे गए पत्र की फोटोकॉपी

डी-11 डी

एस. ए. एस. गिलानी को मोहम्मद के परिसर से जब्त किया गया। अकबर

खांडे @अयाज़ अकबर (4-7) 04.06.17 पर।

डी-19

पत्र सं। 22 / एन. आई. ए./सी. आई. वी./सी. आर./17/6547 दिनांक 12.07.2017 श्री से।

कुलबीर सिंह, ए. आई. जी. (सी. आई. वी.), पी. एच. क्यू., जे. एंड के. श्रीनगर ने एन. आई. ए. पत्र सं. आर. सी.-10/2017/एन. आई. ए. संबंधित विवरण प्रदान कर रहा है

मामला आर. सी.-10/2017 सी. आई. ओ. एन. आई. ए. को। 07 सीडी से संबंधित इंस्पेक्टर विनय कुमार की जांच रिपोर्ट

डी-20

पत्र सं. द्वारा प्राप्त किया गया। 22 / फोटो एल्बम के साथ एन. आई. ए./सी. आई. वी./सी. आर./17/6547 दिनांक 12.07.2017 मुख्यालय, जे. एंड के. श्रीनगर से।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड इंडिया से दिनांकित 27.06.2017 का पत्र

डी-42

आज ग्रुप मीडियाप्लेक्स, फिल्म सिटी, सेक्टर 16ए, नोएडा से सी. आई. ओ., एन. आई. ए. भारत की सटीक, सही और सही प्रति भेज रहे हैं

टेलीविजन का कच्चा फुटेज।

पत्र सं। आर. सी.-10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई./7831 दिनांक 14.06.2017 से

डी-43

डी. जी., बी. एस. एफ., लोधी रोड, नई दिल्ली

पथराव, स्कूलों और महाविद्यालयों की इमारतों को जलाना और सरकार को नुकसान। कश्मीर घाटी में तब से रिपोर्ट की गई संपत्ति

जुलाई, 2016।

पत्र सं। 26 / किमीआर/ऑप्स (बी) डब्ल्यू/बी. एस. एफ./17/1878 दिनांक 2/3 अगस्त

डी-44

2017 महानिदेशक, बी. एस. एफ. (संचालन निदेशालय), नई दिल्ली से सी. आई. ओ., एन. आई. ए. को पथराव, स्कूलों और महाविद्यालय भवनों को जलाने और सरकार को हुए नुकसान का विवरण। रिपोर्ट की गई संपत्ति

जुलाई, 2016 से कश्मीर घाटी में।

नोडल अधिकारी वोडाफोन, न्यू से दिनांकित 28.08.2017 का पत्र

डी-63

दिल्ली सी. आई. ओ. एन. आई. ए. को सी. डी. आर., सी. ए. एफ. की प्रमाणित प्रतियां भेज रहा है

और मोबाइल संख्या के संबंध में 65 बी प्रमाणपत्र। 9796158864 &

9811813796 .

नोडल अधिकारी, रिलायंस जियो से दिनांकित 01.12.2017 का पत्र

डी-65

इन्फोकॉम। लिमिटेड, दिल्ली सी. आई. ओ., एन. आई. ए. को मोबाइल नंबरों के संबंध में सी. डी. आर., सी. ए. एफ. और 65 बी प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां भेज रहा है।

7006046476 , 70062083 14 & 7889521803 .

स्टिंग ऑपरेशन के ऑडियो-वीडियो के प्रतिलेख

डी-70

इंडिया टुडे के पत्रकार अभियुक्त मोहम्मद से संबंधित हैं। नईम खान (ए-5)।

डी-71

स्टिंग ऑपरेशन के ऑडियो-वीडियो के प्रतिलेख आरोपी फारूक अहमद डार से संबंधित इंडिया टुडे के संवाददाता

@ बिट्टा कराटे (4-6)।

डी-75

पत्र संख्या 22/एन. आई. ए.-III/सी. आई. वी./सी. आर./17/10275-76 दिनांक 23.09.2017

एस. से। कुलबीर सिंह ए. आई. जी. (सी. आई. वी.), जे. एंड के पी. एच. क्यू., श्रीनगर से सी. आई. ओ.

एन. आई. ए. मामले के अभियुक्त व्यक्तियों का विवरण अग्रेषित कर रहा है।

पत्र सं। आई एंड ओ/आईएमएस/टी-अधिनियम/3/2015 एन. आई. ए./10011 दिनांकित

डी-127

03.08.2017 एस. से। विश्वास कुमार सिंह, (डब्ल्यू-196), एएसपी, आई एंड ओ, एन. आई. ए. नई दिल्ली से सी. आई. ओ., एन. आई. ए.।

डी-130

खोज के संबंध में दिनांकित 16.08.2017 जब्त ज्ञापन और के परिसर से मिली वस्तुओं/दस्तावेजों की जब्ती

गुलाम मोहम्मद। बल्कि @गुल्ला (डब्ल्यू-29)।

खोज के संबंध में दिनांकित 16.08.2017 जब्त ज्ञापन और

डी-132

के परिसर से मिली वस्तुओं/दस्तावेजों की जब्ती गुलाम मोहम्मद। भट्ट (डब्ल्यू-29)।

डी-132 ए गुलाम मोहम्मद के परिसर से वित्तीय लेनदेन से संबंधित विभिन्न विविध कागजात जब्त किए गए। भट्ट (डब्ल्यू-29) ऑन

16.08.2017 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डायरी का एक छोटा सा शीर्षक अरुण (11) नोट्स पैड जब्त किया गया।

डी-132 बी

गुलाम मोहम्मद का परिसर। भट्ट (डब्ल्यू-29) 16.08.2017 पर। डी-132 सी के परिसर से 2009 की एक हरे रंग की डायरी जब्त की गई।

गुलाम मोहम्मद। भट्ट (डब्ल्यू-29) 16.08.2017 पर।

2010 की एक भूरे रंग की डायरी परिसर से जब्त की गई

डी-132 ई

गुलाम मोहम्मद। भट्ट (डब्ल्यू-29) 16.08.2017 पर। चे गहरे भूरे रंग की डायरी मार्क फ्रैंकफोर्ड (का एक विभाजन)

डी-132 एफ

अल्ट्रामार्क समूह) गुलाम मोहम्मद के परिसर से जब्त किया गया।

भट्ट (डब्ल्यू-29) 16.08.2017 पर।

तलाशी और जब्ती के संबंध में जब्त ज्ञापन दिनांक 16.08.2017

डी-133

गुलाम मोहम्मद के परिसर से मिली वस्तुओं/दस्तावेजों का। भट्ट @मोहम्मद। अकबर (डब्ल्यू-29)।

डी-135

तलाशी और जब्ती के संबंध में जब्त ज्ञापन दिनांक 16.08.2017

डॉ. पीरजादा के परिसर से मिली वस्तुओं/दस्तावेजों की संख्या

कैसर हबीब हकीम।

ट्रिसन इंटरनेशनल समूह का पारदर्शी फ़ाइल फ़ोल्डर देखें

डी-135 ए

डॉ. पीरजादा कैसर के परिसर से जब्त की गई कंपनियाँ

हबीब हकीम 16.08.2017 पर।

मेसर्स श्री के खाता विवरण का एक नारंगी रंग का फ़ाइल फ़ोल्डर

डी-135 बी

2005-06 के वर्ष के लिए स्टार एंटरप्राइजेज को 16.08.2017 पर डॉ. पीरजादा कैसर हबीब हकीम के परिसर से जब्त किया गया। जौहर एंटरप्राइजेज स्टाम्प पेपर फाइल का एक खाकी रंग फ़ोल्डर

डी-135 सी

नहीं। 47 / पी को डॉ. पीरजादा कैसर हबीब हकीम के परिसर से 16.08.2017 पर जब्त किया गया।

तलाशी और जब्ती के संबंध में जब्त ज्ञापन दिनांक 26.08.2017

डी-137

जहूर अहमद शाह वटाली (4-10) अर्थात ट्रिसन फ़ार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के कार्यालय से मिली वस्तुओं/दस्तावेजों की संख्या। लिमिटेड डी-137 ए ट्रिसन फ़ार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. की एक खाता और नकद पुस्तिका। वर्ष के लिए लिमिटेड बाबा धरम दास परिसर, खयाम श्रीनगर

2010-11 ट्रिसन फार्म एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से 26.08.2017 पर जब्त किया गया।

एम. एस. यासिर एंटरप्राइजेज, बाघाट की एक खाता और नकद पुस्तिका

डी-137 बी

बरजुल्ला, सनत नगर, श्रीनगर वर्ष के लिए ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से जब्त किया गया

26.08.2017 पर।

डी-137 सी

ट्रिसन फार्म एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से 26.08.2017 पर जब्त की गई वर्ष 2010-11 के लिए एमएस श्री वाई, सनत नगर, श्रीनगर की एक खाता और नकद पुस्तिका।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मैसर्स यासिर एंटरप्राइजेज, बाघाट की एक खाता और नकद पुस्तिका

डी-137 बी

बरजुल्ला, सनत नगर, श्रीनगर ने 2010-11 के वर्ष के लिए 26.08.2017 पर ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से जब्त किया।

डी-137 सी

मेसर्स श्री वाई, सनत नगर, श्रीनगर की एक खाता और नकद पुस्तिका

वर्ष 2010-11 के लिए 26.08.2017 पर ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से जब्त किया गया।

डी-137 डी

वर्ष के लिए मैसर्स टिर्सन इंटरनेशनल की एक खाता और नकद पुस्तिका 2010-11 ट्रिसन फार्म और निर्माण के कार्यालय से जब्त किया गया

26.08.2017 पर प्राइवेट लिमिटेड।

प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित दस्तावेजों का एक गुच्छा जब्त किया गया

डी-137 एफ

ट्रिसन फार्म एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से

26.08.2017 .

पत्र रिपोर्ट सं। सी. एफ. एस. एल.-2017/डी-993/3953 दिनांक 06.11.2017 से

डी-154

सी. एफ. एस. एल., (सी. बी. आई.), लोधी रोड, नई दिल्ली ने सी. आई. ओ. एन. आई. ए. को गुलाम मोहम्मद के घर से जब्त की गई मूल जब्ती के साथ हस्ताक्षर परीक्षा रिपोर्ट दी। भट आर/ओ ताराहामा।

डी-167

अभियुक्त के संबंध में आवाज के नमूने के लिए ज्ञापन

मोहम्मद. नईम खान (4-5) दिनांकित 31.07.2017। अभियुक्त के संबंध में नमूना ध्वनि स्मेपल के लिए ज्ञापन

डी-168

फारूक अहमद डार @Bitta कराटे (4-6) दिनांक 31.07.2017।

पत्र सं। आई एंड ओ/आईएमएस/डी. ई./33/2017/एन. आई. ए. दिनांक 29.11.2017 से

डी-169

इंस्पेक्टर, आई. एम. एस., एन. आई. ए. नई दिल्ली ने प्रतिलेखों के साथ सी. आई. ओ. एन. आई. ए. को

बातचीत और वीडियो।

डी-183

अभियुक्त फारूक अहमद डार के संबंध में तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट

@ बिट्टा कराटे (4-6) अंतर कार्यालय नोट No.RC 10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई./रिपोर्ट/1351 दिनांक 10.12.2017 के माध्यम से अग्रेषित किया गया। डी-184 खुला स्रोत से निकाले गए विरोध कैलेंडर पर रिपोर्ट के साथ-साथ अंतर कार्यालय नोट No.RC 10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई./रिपोर्ट/1351 दिनांक 10.12.2017 द्वारा अग्रेषित स्रोत पथ। डी-197

पत्र No.D.III.a/2017-2 V/C से ऑपरेशन (एन. आई. ए.) दिनांक 25.07.2017

( ), महानिरीक्षक सी. आर. पी. एफ. का कार्यालय, ब्रेइन निशात, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से सी. आई. ओ. एन. आई. ए.
मेसर्स ट्रिसन फ़ार्म्स और श्री ट्रिसन फ़ार्म्स के बीच मूल समझौते के दस्तावेज़

डी-204

नवल किशोर कपूर ने 07.11.2014 को डेट किया। नवल को धारा 43 (एफ) यूए (पी) अधिनियम दिनांक 30.11.2017 के तहत नोटिस

डी-205

किशोर कपूर (डब्ल्यू-28) से सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

इंस्पेक्टर टी. तिबुटिया, एन. एल. ए., नई दिल्ली।

यू. ए. (पी) अधिनियम की धारा 43 (एफ) के तहत दिनांकित 4.12.201of नोटिस का जवाब

डी-206

नवल किशोर कपूर (डब्ल्यू-28) से दिनांकित 30.11.2017।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूए (पी) अधिनियम की धारा Cr.P.C और 43 (एफ) के तहत गवाह को नोटिस

डी-207

खाता संख्या का बैंक खाता विवरण प्रदान करने के लिए सी. वी. ओ., एस. बी. आई., मुंबई को दिनांकित <आई. डी. 1. 274724019 नवल किशोर कपूर (डब्ल्यू। 28) श्री ज्योतिरादित्या, डीसी से।

पत्र सं। जनरल/2017-18/46 दिनांकित 18.11.2017 अस्ट से। जनरल

डी-208

नवल किशोर कपूर (डब्ल्यू-28) की संख्या 20074724019। पत्र सं। एफ. नं. आई. टी. ओ./डब्ल्यू-3 (4) एंटग/2017-18/3540 दिनांकित

डी-211

20.10.2017 / 11.12.2017 आयकर अधिकारी, अनंतनाग से

अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली (ए-10) के संबंध में पिछले छह वर्षों के आयकर रिटम विवरण। संबंधित उत्पादन सह रसीद ज्ञापन दिनांक 17.11.2017

डी-212

नवल किशोर कपूर (डब्ल्यू-28) द्वारा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज। संबंधित उत्पादन सह रसीद ज्ञापन दिनांक 14.12.2017

डी-220

लिखित लेखापरीक्षा रिपोर्टों और वित्तीय लेखापरीक्षा की प्रतियों का उत्पादन

सुश्री ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के बयान। लि. आदि।

प्राप्त दस्तावेजों के साथ।

अंतर कार्यालय नोट संख्या I & O/IMS/DE/33/2017/एन. आई. ए./722 दिनांकित

डी-222

17.01.2017 इंस्पेक्टर एस. के. त्यागी, आई. एम. एस. से सी. आई. ओ. एन. आई. ए. तक

हाफ़िज़ सईद की आवाज़ की पहचान करते हुए 3 वीडियो क्लिप अग्रेषित कर रहे हैं

आई. ई. ए. के प्रमाणपत्र 65 बी के साथ।

पत्र सं. एफ. सं. टी-3/1/एफ. ई./एस. आर. जेड. ओ./2013 दिनांक 12.12.17 श्री से।

डी-224

श्रीनगर से श्री. अजीत सिंह, एस. पी. एन. आई. ए. (डब्ल्यू-229) अग्रेषण करते हुए
अभियुक्त जहूर के खिलाफ कार्यवाही में संलग्नकों के साथ

अहमद शाह वटाली (ए-10) फेमा अधिनियम के तहत।

डी-248

पत्र सं। आर. सी.-10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई./354 दिनांक 11.01.2018 श्री से। एन. आई. ए. के निरीक्षक राजेश कुमार (डब्ल्यू-209) ने सी. आई. ओ. को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पर रिपोर्ट, इंडिया हिट रिपोर्ट और रिपोर्ट

65-बी के साथ पाकिस्तानी हुर्रियत प्रतिनिधि प्रमाण पत्र।

नहीं। एस. आई. से प्राप्त आर. सी.-10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. वी./646 दिनांक 15.01.2018

डी-252

वीडियो डाउनलोड करें।
पत्र सं। आर. सी.-10/2017/एन. आई. ए./डी. एल. आई./5706 दिनांक 26.12.2017 जी. एम. को

डी-256

(सी. एम.), नोडल अधिकारी, बी. एस. एन. एल., चौथी मंजिल, टेलीफोन एक्सचेंज, त्रिकुटा नगर, आर. बी. आई. जम्मू के पास, सी. आई. ओ. एन. आई. ए. से सी. डी. आर., सी. ए. एफ. और मोबाइल नंबरों के 65 प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए। में उल्लिखित

पत्र।

डी-257

सी. डी. आर., सी. ए. एफ. और मोबाइल के प्रपत्र 65 बी की प्रमाणित प्रतियाँ

संख्याएँ 941901561,9419504376,9419075468,9419547999,9419006355,9419008421,9419001097 और 9469037774 (बीएसएनएल J & K) बीएसएनएल, J & K से प्राप्त हुआ।

भारती एयरटेल लिमिटेड के नोडल अधिकारी का पत्र अग्रेषण प्रमाणित

डी-259

सी. डी. आर. की प्रतियाँ, मोबाइल नंबर 9596070530 की सी. ए. एफ., 9906519595 , 8494071470 & 8491001561 प्रमाण पत्र के साथ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत "।

(इटैलिक और बोल्ड में जोर दिया जाता है)

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

21. सुनवाई के दौरान विद्वानों द्वारा जोर दिया गया

दस्तावेजों डी-132, डी-132 (ए)/23, डी-3/6, डी-3 जी/20, डी-3 एच/28, डी-3 जे से डी-3 जे/5, डी-9 बी, डी-9 सी, डी-154 और डी-185/10 पर महान्यायवादी। इन दस्तावेजों के अलावा गुलाम के बयानों पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

2017 , साथ ही संरक्षित गवाहों के संशोधित बयान ("चार्ली", " रोमियो "," अल्फा "," गामा "," पाई "," पॉटर "," हैरी "और" XXX ") धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं, जिन्हें अब रिकॉर्ड में लिया गया है।

11 जनवरी, 2019 के आदेश के संदर्भ में नामित न्यायालय। विशेष रूप से, उन बयानों के पुनरीक्षण की अनुमति देने वाले नामित न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर प्रतिवादी द्वारा हमला नहीं किया गया है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि नामित न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए गए कथित बयानों को इस तथ्य के साथ नहीं देखा कि धारा 44 के तहत दायर आवेदन

जमानत देने के अनुरोध का अंत में जवाब देने से पहले, नामित न्यायालय को पहले उक्त आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देना चाहिए था और यदि अनुमति दी जाए, तो संशोधित बयानों पर विचार करना चाहिए था, ताकि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हों कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सच है या अन्यथा। क्योंकि, धारा 43 डी के संदर्भ में, यह न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह केस डायरी और/या संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट और जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य का अवलोकन करे। अपनी राय दर्ज करने के लिए। हम पक्षकारों को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्पित कर सकते थे, लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वकील ने निर्देश पर कहा कि प्रत्यर्थी नामित न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना पसंद करेगा और अधिनियम की धारा 44 के तहत आवेदन के परिणाम के आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष ही कार्यवाही को चुनौती देगा। तदनुसार, प्रतिवादी के अनुरोध पर, हमने वर्तमान अपील को लंबित रखा। चूंकि नामित न्यायालय ने अंततः

जांच एजेंसी द्वारा 11 जनवरी, 2019 के आदेश के माध्यम से दिए गए आवेदन का निपटारा करते हुए, जिसकी शुद्धता को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, संबंधित संरक्षित गवाहों के संशोधित बयानों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

22. तदनुसार, हमने मामले का विश्लेषण न केवल प्रकाश में किया है

एफ. आई. आर. और आरोप पत्र या पुलिस रिपोर्ट में आरोप धारा 173 के तहत किया गया, लेकिन धारा 161 [2019] 5 एस. सी. आर. के तहत दर्ज संभावित गवाहों के दस्तावेजी साक्ष्य और बयान भी।

और 164, जिसमें संरक्षित गवाहों के संशोधित बयान शामिल हैं, जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने के लिए।

उक्त कथनों की स्वीकार्यता के मुद्दे पर सीमाएं। हम प्रस्तुतिकरण में बल पाते हैं कि स्वीकार्यता के संबंध में मुद्दा संशोधित बयानों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के विवरण और प्रभावकारिता परीक्षण का विषय होगा।

और Cr.P.C की धारा 463 के संदर्भ में साक्ष्य के अधीन और इस स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, एल. आर. द्वारा रामचंद्र केशव अडके (मृत) के मामले में व्याख्या। और ओआरएस। बनाम गोविंद ज्योति चावरे और अन्य। 18 1 8, रिपोर्ट किए गए अनुच्छेद 25 में

निर्णय से प्रत्यर्थी को कोई लाभ नहीं होगा।

24. दस्तावेजों और बयानों का विश्लेषण करने के बाद। आरोप-पत्र के साथ-साथ अब अभिलेख में लिए गए संशोधित बयानों के हिस्से के रूप में, हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से असहमत हैं। हमारी राय में, संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट की समग्रता और साथ में दिए गए दस्तावेजों और अदालत में पहले से प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जिसमें

संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज संरक्षित गवाहों के बयानों को संशोधित किया गया है, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। यह ध्यान दिया जाए कि आगे की जांच जारी है। हम देख सकते हैं कि चूंकि जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना है, इसलिए हमारे लिए उन मामलों पर विस्तार करना उचित नहीं हो सकता है जो अंततः प्रतिवादी को पूर्वाग्रहित कर सकते हैं।

(अभियुक्त No.10) मुकदमे के दौरान किसी भी तरह से। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जांच एजेंसी द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई सामग्री (आगे की जांच लंबित) प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) का ए-3, ए-4, ए-5 और ए-6 के साथ संबंध दिखाती है और इसी तरह, प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) और ए-3 से ए-12 के बीच संबंध, जैसा कि सीडीआर विश्लेषण से पता चलता है। चार्ट ए में नामित अभियुक्तों के बीच के संबंधों को दिखाया गया है और चार्ट बी में अभियुक्तों के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। नामित अभियुक्त दूसरों के साथ और प्रासंगिक अवधि के दौरान फोन पर उनकी बातचीत की आवृत्ति निम्नानुसार हैः

18 8 (1975) 1 एस. सी. सी. 559 = ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 915 राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी v.

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

7006046476

जेंट 9811813796

941907546

8

एम.

.

9419504376

9596070530

.

3 © - ए 8491001561

9419011561

यीम

9419008421

प्रवेश करें
लिंक

एनआईए

9906519595

केस

चार्ट

कोई नहीं।

ओ.

आरसी

9018814598

द.

एनआईए

- 10

केस आर. सी.

प्राप्त किया /

ए.

2017

-10 / 2017

/ एनआईए

/ एनआईए

लोग

/ डीएलआई

/ डीएलआई

7889521803

एस.

© 9419547999

आदम

दी।

कैंडी

© 9796158864 अफ.

985839998

3

गुस्सा।

मुरा

[2019] 5 एस. सी. ई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8491001561 9596070530

9419071818 © A9419001097

7006046

476

9419902100

321.बिल्ली (9811813796)

मंक।

9419075468

9469118833

कामरान

9419011561

सेंट.

9419504376

प्रवेश करें

9906797575

9906000552

959614

2900

&

लिंक

ए 9419006355

$603

एनआईए

-4 अल्ताफ

ओ.

अधिवक्ता

ए 0

कार्ट

एन. ई. ए

फंतासी।

केस

द.

अज्ट 3

केस

-

-9796627915

देवेंद्र

9419008421

आरसी

स्वीकार किया गया

-1

आरसी

एन. आई. ए. आई. डी. एल. 17

पाल

/

- 10

9419985499

आह भरते हैं।

/

9906519595

:

2017

9419010200

लोग

70516

48815

जावेद

/

ओजीडब्ल्यू

एनआईए

उधमपुर में

9906526709

/ डीएलआई

&

अन्य

विस्फोट।

9858971983

&

7889521803 मामला

सीपीयूएन

979634

4343

मोई

9018814598

एलटी4 एल

बी बीपीएस

कोई अंतिम जांच एजेंसी नहीं v. ज़हूर अहमद

शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

17.10 सारांशः[इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जांच ने पुष्टि की है किः

कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों, ओ. जी. डब्ल्यू. और पथराव करने वालों के साथ आतंकवादियों और हुर्रियत नेताओं की गहरी सांठगांठ है। वे एक-दूसरे के साथ निकटता से समन्वय कर रहे हैं और अलगाव के अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आतंकवादी गिरोह का गठन किया है।

सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत संघ।

अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं को धन प्रदान कर रहा है और इन्हें हवाला, एलओसी व्यापार और अन्य माध्यमों से चलाया जाता है। कभी-कभी, धन सीधे भारत में पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा प्रदान किया जाता है।

पाकिस्तान में हुर्रियत के संयोजक/प्रतिनिधि हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों और आईएसआई के कश्मीर प्रकोष्ठ, यूनाइटेड जेहाद काउंसिल और जमात-उद-दावा के साथ भी संपर्क रखते हैं।

एल. ओ. सी. व्यापार से होने वाले लाभ पहुँच रहे हैं

घाटी में अशांति को बढ़ावा देने के लिए हुर्रियत नेताओं।

ज़कात और बैतूल माल के नाम पर आम लोगों से दान एकत्र करके स्थानीय रूप से धन जुटाया जाता है।

हुर्रियत नेता अपने पाकिस्तानी संचालकों के निर्देशों के अनुसार गाँव स्तर, ब्लॉक स्तर पर अपने कैडरों का एक नेटवर्क स्थापित करके व्यवस्थित और संगठित तरीके से काम कर रहे हैं।

और जिला स्तर पर।

पाकिस्तान का उच्चायोग नई दिल्ली में समारोहों और बैठकों का आयोजन करता है, जिसमें कश्मीर के हुर्रियत नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें निर्देश और धन दिया जाता है ताकि घाटी में अशांति को संगठित तरीके से भड़काया जा सके।

तरीके से।

हुर्रियत नेता युवाओं की मदद करने के नाम पर पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों/एजेंसियों से धन जुटा रहे हैं।

सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान घायल/मारे गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. सक्रिय आतंकवादियों और मारे गए आतंकवादियों के परिवार हैं

हुर्रियत नेताओं द्वारा आर्थिक, सामाजिक रूप से और साथ ही अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करके समर्थन किया गया।

पाकिस्तान।

10. हुर्रियत नेता मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, उन्हें 'शहीद' कहते हैं, उनकी भारत विरोधी गतिविधियों को 'वीरता' बताते हैं और भारत सरकार के खिलाफ भाषण देते हैं और कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।

एक सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से कश्मीर की तथाकथित स्वतंत्रता।

वे झूठ फैलाकर आम आदमी को गुमराह करते हैं

भारत सरकार के खिलाफ प्रचार।

11. इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए हुर्रियत नेता, आतंकवादी/आतंकवादी संगठन और पथराव करने वाले मिलकर काम कर रहे हैं

और उन्हें वित्तीय और रसद सहायता मिल रही है पाकिस्तान "।

26. अभियुक्त के खिलाफ आरोप और आरोप, जिसमें शामिल हैं

इसके अलावा, रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 में है जो इस प्रकार हैः

" 18. शुल्कः

18.1 तत्काल मामले में, आपत्तिजनक दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और डिजिटल साक्ष्य के रूप में पर्याप्त सबूत हैं जो किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करते हैं कि

अभियुक्त व्यक्ति अर्थात हुर्रियत नेता, आतंकवादी और पथराव करने वाले जम्मू में हिंसा और अशांति की साजिश रच रहे हैं

& समग्र रूप से सुनियोजित साजिश के एक हिस्से के रूप में कश्मीर

पाकिस्तानी प्रतिष्ठान का संरक्षण और वित्तीय सहायता और

अभिकरण और कि सभी अभियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहे थे

उनके सामान्य लक्ष्य का अनुसरण करना अर्थात अलगाव प्राप्त करना

भारत संघ से जम्मू और कश्मीर राज्य

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध।

18.2 विभिन्न तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के पत्र हुर्रियत नेताओं से वित्तीय सहायता, खाली लेटरहेड

आतंकवादी संगठनों, हाफ़िज़ सईद के बीच बातचीत @

बुरहान वानी, हाफ़िज़ सईद और आसिया अंद्राबी, विस्तारित आपराधिक जाँच एजेंसी का समर्थन करते हैं।

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

हाफ़िज़ सईद और सैयद सलाहुद्दीन द्वारा हुर्रियत नेताओं द्वारा जारी विरोध कैलेंडर के लिए, ये सभी दर्शाते हैं कि हुर्रियत और आतंकवादी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। उनका साझा उद्देश्य भारत संघ से जम्मू और कश्मीर को अलग करना है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उनके पास है पूरे कश्मीर घाटी में कैडरों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो युवाओं को भारतीय प्राधिकरण के सभी प्रतीकों, विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए प्रेरित और उकसाते हैं, जिन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां तैनात किया गया है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वे सभी संभावित स्रोतों से धन जुटा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से धन मिल रहा है।

पाकिस्तान उच्चायोग; हवाला के माध्यम से अपतटीय स्थानों से भारत को धन भेजा जा रहा है और आरोपी ए-10 जहूर अहमद शाह वटाली इसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वे स्थानीय दान जैसे ज़कात और बैतुलमाल आदि के माध्यम से धन जुटा रहे हैं। वे एल. ओ. सी. वस्तु-विनिमय व्यापार में अवैधता और अनियमितताओं जैसे चालान और नकदी-लेन-देन का सहारा लेकर धन अर्जित कर रहे हैं। यह सारा पैसा पथराव के लिए, मारे गए और सक्रिय आतंकवादियों के परिवारों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

उनके ईमेल खातों, वॉट्सऐप, फेसबुक प्रोफाइल और वेबसाइटों और संरक्षित गवाहों के बयानों से भी। हवाला नाली, जहूर वटाली के साथ उनकी सांठगांठ भी है

दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य द्वारा प्रमाणित।

18.4 हालाँकि जम्मू और कश्मीर का संविधान, 1957, जम्मू और कश्मीर राज्य को इसका अभिन्न अंग घोषित करता है।

भारत, और उक्त घोषणा अपरिवर्तनीय है, अभियुक्त व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर जम्मू और कश्मीर में लगातार हिंसा में लगे हुए हैं और विध्वंसक और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

18.5 इसलिए, जैसा कि पूर्वगामी पैरास में चर्चा की गई है, जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य, प्रथम दृष्टया, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों एल. ई. टी. और एच. एम. के कैडरों का एक नेटवर्क स्थापित करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के लिए एक मामला स्थापित करते हैं।

तथाकथित राजनीतिक मोर्चे की आड़ में कार्यकर्ता। , ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस। 18.6 दस्तावेजों की जांच और उनसे वसूली

डिजिटल उपकरणों ने आपत्तिजनक सामग्री का एक बड़ा डेटा प्रदान किया है जिसमें उपरोक्त आरोपी ए-3 से ए-12 एक गिरोह का हिस्सा हैं जो ए-1 और ए-2 और अन्य लोगों की मदद से एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय करते हैं।

बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध, हड़ताल, बंद, हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन शुरू करने के लिए रणनीतियाँ और कार्य योजना जिसके दौरान सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर पथराव किया जाता है। ये दस्तावेज़ और डिजिटल

साक्ष्य स्पष्ट रूप से आम जनता को हड़ताल करने, प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया और इमामों और मस्जिदों के उपयोग के माध्यम से भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाने की कार्य योजना का संकेत देते हैं। की बहाली

ए-4 के विरोध कैलेंडर और इस तरह के सुनियोजित विरोध प्रदर्शनों के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण भारी जान-माल का नुकसान हुआ है, जिसे विस्तार से समझाया गया है।

18.7 जाँच में ए-1 और ए-2 का ए-3 से ए-12 के साथ जुड़ाव का पता चला है। उपरोक्त अभियुक्तों और हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के बीच एक स्पष्ट सांठगांठ बनाने के लिए ई-मेल, एस. एम. एस., वाट्सऐप, वीडियो और संचार के अन्य साधन। ए की पुनर्प्राप्ति

कई आपत्तिजनक वीडियो जिनमें अलगाववादी नेता और आरोपी आम जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए समर्थन और दान मांग रहे हैं और आम जनता, विशेष रूप से युवाओं को विद्रोह करने और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा शुरू करने के लिए उकसा रहे हैं।

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध स्पष्ट रूप से स्थापित है।

18.8 अलगाववादी, विशेष रूप से हुर्रियत सम्मेलन के नेता और आरोपी अपनी विचारधारा और टीओएनएल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v के एजेंडे का प्रचार करने के लिए धन जुटाने के आतंकवादी मंसूबों का हिस्सा हैं।

ज़हूर अहमद

शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अलगाववाद और विध्वंसक गतिविधियाँ जो कानून के लिए प्रतिकूल हैं

भूमि को। जांच में स्पष्ट हुआ है कि

हुर्रियत ने कैडरों का एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क बनाया है

जिला अध्यक्ष, प्रखंड स्तर के नेता और कार्यकर्ता जो एकत्र करते हैं जनता, व्यापारियों, सेब उत्पादकों से दान और लाभ प्राप्त करें

अनियमित एल. ओ. सी. व्यापार के लाभ से। पैसा भेजा जाता है।

हवाला हस्तांतरण और नकदी की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से

ए-10 जैसे माध्यमों का उपयोग करने वाले कूरियर जो पैसे इकट्ठा करते हैं

नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग और नकली के माध्यम से

और संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में चल रही फर्जी कंपनियाँ और

गतिविधियाँ। बरामद किए गए दस्तावेज और गवाहों के बयान

प्रभाव स्पष्ट रूप से वित्त पोषण के तंत्र को भी स्थापित करता है और

इसके आगे के उपयोग के लिए धन जुटाने में अभियुक्त की भागीदारी

हिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित करना, उग्रवादियों को सहायता देना और

आतंक, अराजकता और अनिश्चितता का माहौल बनाना।

18.9 के पिछले आचरण के बारे में जांच के दौरान अभियुक्त, यह पता लगाया जाता है कि ए-1 एक नामित आतंकवादी है

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख होने के नाते ए-2 प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन का प्रमुख है। ए-3, ए-4, ए-5, ए-6, ए-8, ए-9 पूर्व आतंकवादी हैं।

उनके खिलाफ आतंकवाद के मामले और उनके तहत हिरासत में लिया गया है

कई अवसरों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। ए-10 ज्ञात है। हवाला विक्रेता और फाइनेंसर और उनके पास कई मामले हैं

उसके खिलाफ जिसकी बहन द्वारा जाँच की जा रही है

जाँच एजेंसियाँ।

18.10 सी. डी. आर. संबंध और सामाजिक संबंधों का तकनीकी विश्लेषण।

हैचिंग में उपरोक्त अभियुक्तों के दिमाग की बैठक ए-1 और ए-2 के साथ-साथ अन्य के समर्थन से साजिश

हुर्रियत सम्मेलन के अलगाववादी नेता और अन्य

जम्मू और कश्मीर के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन।

18.11 यह मामला एक आतंकी साजिश का मामला है जिसमें आतंकवादी

अधिनियम एक घटना या [2019] 5 एस. सी. आर. की श्रृंखला की तरह आतंक का एक भी कार्य नहीं है।

घटनाएँ। यह यू. ए. (पी) अधिनियम-1967 के तहत परिभाषित एक आतंकवादी कार्य है जिसमें एकता, अखंडता और अखंडता को खतरे में डालने का इरादा है।

आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी की मौत या किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी की मौत के प्रयास के माध्यम से भारत में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाकर भारत की संप्रभुता। उपरोक्त अभियुक्तों के आतंकवादी गिरोह ने भी आतंकवादी कृत्य किया है क्योंकि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की आवश्यक सेवाओं और दैनिक जीवन को बाधित किया है और भारत में संपत्ति को नुकसान और विनाश किया है जिसका उपयोग भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार या उनकी किसी भी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में किया जाना है।

18.12 तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण, गवाहों के बयान और आरोपी से जब्त किए गए डिजिटल मीडिया से बरामद आपत्तिजनक सामग्री स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सामने लाती है कि पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों, पाकिस्तानी एजेंसियों के सक्रिय समर्थन और मिलीभगत से,

पाकिस्तानी धरती से सक्रिय आतंकवादी समूहों, उपरोक्त अभियुक्तों ने जम्मू और कश्मीर में हिंसा में शामिल होने और विध्वंसक और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची है। कश्मीर और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पाकिस्तानी एजेंसियों के माध्यम से वित्त पोषित कैडरों का एक नेटवर्क स्थापित किया है

हवाला विक्रेताओं, स्थानीय माध्यमों के माध्यम से और स्थानीय दान के माध्यम से धन जुटाकर और वस्तु विनिमय एल. ओ. सी. व्यापार के माध्यम से अवैध लाभ अर्जित करके। अभियुक्तों ने इन धन का उपयोग विरोध और प्रदर्शनों के एक सेट चार्टर के माध्यम से संगठित पथराव के लिए किया है जो नियमित रूप से "विरोध कैलेंडर" के रूप में जारी किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य में अराजकता, आतंक, अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा होता है। मुख्य उद्देश्य और

इस पूरी साजिश का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, को भारत संघ से अलग करना और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। 18.13 अतः अभियुक्त व्यक्ति कानून की निम्नलिखित धाराओं के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैंः

का नाम

धाराओं के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी

आरोपित

आरोपित

कानून का

ए-1

हाफ़िज़

आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 121,121 ए और 1 24 ए,

मुहम्मद

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13,16,17,18,20,38,39 और 40,

सईद

1967 .

मोहम्मद. युसूफ

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

ए-2

शाह @सैयद

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13,16,17,18,20,38,39 और 40,

सलाहुद्दीन

1967 .

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

आफताब अहमद

ए-3

शाह @आफताब

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13,16,17,18,20,39 और 40,

हिलाली शाह @

शाहिद-उल-इस्लाम

1967 .

अल्ताफ अहमद

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

ए-4

धारा 13,16,17,18,20,39 और 40

शाह @फंटूश

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम,

1967 .

नईम अहमद

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

ए-5

खान

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13,16,17,18,20,39 और 40,

1967 .

फारूक अहमद

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

ए-6

डार @बिट्टा

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13,16,17,18,20,39 और 40,

कराटे

1967 .

ए-7

मो. अकबर

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए, आईपीसी की धारा 13,16,17,18,20,39 और 40

खांडे

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम,

1967 .

ए-8

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

राजा।

मेहराजुद्दीन

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13,16,17,18,20,39 और 40,

कलवाल

1967 .

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

ए-9

बशीर अहमद

धारा 13,16,17,18,20,39 और 40

भट @पीर

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम,

सैफुल्ला

1967 .

आईपीसी की धारा 120 बी, 121,121 ए और 124 ए,

जहूर अहमद

ए-10

धारा 13,16,17,18,20,39 और 40

शाह वटाली

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम)

अधिनियम, 1967।

कामरान यूसुफ

आईपीसी की धारा 120 बी, 121 और 121 ए,

ए-11

गैरकानूनी की धारा 13,16,18 और 20

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967।

जावेद अहमद

ए-12

आईपीसी की धारा 120 बी, 121 और 121 ए,

गैरकानूनी की धारा 13,16,18 और 20

भाटिया

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18.14 धारा 45 (1) (i) (ii) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी

अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में यू. ए. (पी) अधिनियम

No.11011/26/2017/IS-IV दिनांक 16 जनवरी, 2018। यह सजा धारा 188 सी. आर. पी. सी. के तहत अभियोजन के लिए भी मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 11011/26/2017/आई. एस.-IV दिनांकित

16 भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए जनवरी, 2018।

18.15 इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया

धारा 120 बी, 121,121 ए के तहत अपराधों का संज्ञान लें।

& 124 आई. पी. सी. की धारा 13,16,17,18,20,38,39 और 40

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967

अभियुक्त ए-1 से ए-12 (पैरा 18.13 में उल्लिखित के अनुसार), जारी करें

अभियुक्त व्यक्तियों पर कार्रवाई करें और उपरोक्त अभियुक्तों पर मुकदमा चलाएं।

व्यक्तियों को और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करें।

(इटैलिक और बोल्ड में जोर दिया जाता है)

27. प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप धारा 17 तक सीमित नहीं है

आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने के संबंध में 1967 का अधिनियम, लेकिन 1967 के अधिनियम की धाराओं 13,16,18,20,38,39 और 40 के संदर्भ में भी। धारा 13 1967 के अधिनियम के अध्याय 2 में है। हालाँकि, धारा 43 डी (5) के तहत जमानत के संबंध में विशेष प्रावधान अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आकर्षित होते हैं, जैसे कि 1967 के अधिनियम की धारा 16,17,18,20,38,39 और 40। धारा 39 और 40 अध्याय VI का हिस्सा हैं, जबकि अन्य धाराएं (धारा 13 को छोड़कर) अध्याय IV का हिस्सा हैं, जिन पर विषय जमानत के प्रावधान लागू होते हैं, जो न्यायालय द्वारा संतुष्टि की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है कि इसके लिए उचित आधार हैं।

यह मानते हुए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है।

28. उन दस्तावेजों की ओर लौटना जिन पर जोर दिया गया है

दस्तावेज़ डी-132 गुलाम मोहम्मद भट्ट (डब्ल्यू-29), प्रतिवादी के तत्कालीन मुंशी/लेखाकार (अभियुक्त No.10) के परिसर से जब्त की गई संपत्तियों का ज़ब्ती ज्ञापन है। दस्तावेज़ डी-132 (ए) हरे पृष्ठ का दस्तावेज़ है, जिसे उक्त गुलाम मोहम्मद भट्ट के निवास की तलाशी के दौरान जब्त किया गया था, जिसमें प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) के विदेशी योगदान और व्यय के बारे में जानकारी है।

2015/2016 के दौरान। क्या यह दस्तावेज़ साक्ष्य में स्वीकार्य है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी v.

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह सुनवाई का विषय है। जो भी हो, उक्त दस्तावेज के अलावा, गुलाम मोहम्मद भट्ट (डब्ल्यू-29) का बयान 30 अगस्त, 2017 और 1 नवंबर, 2017 को दर्ज किया गया है। उक्त गवाह की विश्वसनीयता को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, इस स्तर पर इसे मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है।

बयान में उनके आवास से बरामद की गई डायरियों का संदर्भ दिया गया है जिसमें विभिन्न पक्षों को पर्याप्त नकद राशि का हस्तांतरण दिखाया गया है, जिसे उन्होंने यह कहते हुए समझाया है कि नकद लेनदेन की देखभाल प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) द्वारा स्वयं की गई थी। उनके पास था

उन्होंने अपने आवास से हरे रंग के दस्तावेज़ की बरामदगी को स्वीकार किया,

प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) के हस्ताक्षर और 2015 और 2016 के बीच प्रासंगिक अवधि के दौरान प्राप्त और वितरित नकद राशि के बारे में उल्लेख करना। प्रत्यर्थी (अभियुक्त No.10) के खिलाफ आरोप यह है कि अभियुक्त ए-3 से ए-10 ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं जो खुद को एक राजनीतिक मोर्चा कहता है, जबकि उनका

एजेंडा भारत संघ से जम्मू-कश्मीर को समाप्त करने के लक्ष्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। उत्तरदाता की भूमिका

(अभियुक्त No.10) को बड़ी साजिश का हिस्सा होने और धन जुटाने वाले और वित्त वाहक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत नेताओं और आतंकवादियों/आतंकवादी संगठनों के बीच संबंधों और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उनकी निरंतर गतिविधियों को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और विशेष रूप से प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) की संलिप्तता के संबंध में आरोप-पत्र में नीचे उल्लेख किया गया हैः

" 17.6 अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण

जम्मू और कश्मीरः

यदि प्रचार और प्रचार आतंकवादी समूहों के लिए ऑक्सीजन है, तो आतंक का वित्तपोषण इसका जीवन-रक्त है। आतंकवादी वित्तपोषण भर्ती, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण शिविरों के संचालन, हथियारों और गोला-बारूद की खरीद, आतंकवादी कृत्यों के लिए योजना और संसाधनों की परिचालन लागत, भूमिगत नेटवर्क चलाने, सुनियोजित पथराव, स्कूल जलाने, लक्षित हमलों, न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे आतंकवादियों और जमीनी स्तर पर काम करने वालों के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान, आतंकवादी अभियानों में मारे गए आतंकवादियों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान, मारे गए या दोषी ठहराए गए आतंकवादियों और आतंकवादियों के परिवारों को नियमित भुगतान, प्रचार के लिए धन प्रदान करता है।

पादरी वर्ग के साथ-साथ नागरिक आबादी के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भी राहत के उपाय। मामले की जांच से पता चला है कि अलगाववादी सभी [2019] 5 एस. सी. आर. से धन जुटा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में अशांति को बढ़ावा देने और चल रही अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के संभावित स्रोत।

17.6. 1 पाकिस्तान से धनः

i) हुर्रियत नेता पाकिस्तान से माध्यमों के माध्यम से और सीधे पाकिस्तान उच्चायोग से भी धन प्राप्त कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद के घर से जब्त किए गए एक आपत्तिजनक दस्तावेज से इसकी पुष्टि हुई। भट्ट खोज कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद। भट्ट हवाला के जाने-माने संचालक ए-10 जहूर अहमद शाह वटाली के साथ कैशियर-सह-लेखाकार के रूप में काम करते थे। दस्तावेज़ से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ए-10 जहूर अहमद शाह वटाली से पैसे ले रहा था।

नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग से आई. एस. आई. से आरोपी ए-1 हाफ़िज़ सईद (जमात-उद-दावा का प्रमुख)

और दुबई में स्थित एक स्रोत से भी। अभियुक्त ए-10 जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत नेताओं, अलगाववादियों और पथराव करने वालों को यही संदेश भेज रहा था। उक्त दस्तावेज़ को उसके व्यवसाय के नियमित क्रम में रखा गया है और आरोपी जहूर वटाली द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया है। यह दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि हुर्रियत नेता पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों और आरोपी ए-10 जहूर वटाली के माध्यम से पाकिस्तान से धन प्राप्त कर रहे थे।

लिखावट के साथ-साथ उनकी स्वीकृत लिखावट। ii) इसके अलावा, अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण में पाकिस्तान की भूमिका इंडिया टुडे टीवी न्यूज चैनल के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत ऑडियो/वीडियो के गैर-संपादित संस्करण की जांच में भी सामने आई, जिसमें आरोपी ए-5 नईम खान स्वीकार करता है कि घाटी के अलगाववादियों और आतंकवादियों को पाकिस्तान से वित्तीय सहायता मिल रही है और उन्हें लगभग प्राप्त हुई होगी।

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित करने के लिए Rs.200 करोड़। वह आगे सऊदी अरब/दुबई से दिल्ली (बालीमारन/चांदनी चौक) के रास्ते हवाला के माध्यम से उन तक पहुंचने वाले धन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एस. ए. एस. गिलानी (अध्यक्ष, एपीएचसी-जी), मीरवाइज उमर फारूक

(ए. पी. एच. सी.-एम.) और यासीन मलिक (जे. के. एल. एफ.) को टी. आई. एन. ए. एल. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v. से धन प्राप्त हो रहा है।

ज़हूर अहमद

शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पाकिस्तान। उन्होंने आगे पाकिस्तान से निर्देश देने और प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। नईम खान ने यह भी कहा कि आरोपी हाफ़िज़

मोहम्मद सईद ने अध्यक्ष एस. ए. एस. गिलानी का समर्थन किया है।

किसी भी समय। iii) इसी तरह, स्टिंग ऑपरेशन के ऑडियो/वीडियो की जांच से यह भी पता चलता है कि आरोपी ए-6 फारूक अहमद दार बिट्टा कराटे ने स्वीकार किया कि धन पाकिस्तान द्वारा भेजा जा रहा है।

कश्मीर घाटी में अलगाववादियों और आतंकवादियों के लिए

जिसमें जबरन बंद कराने, भारत विरोधी प्रदर्शन और जुलूस निकालने और सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए भी शामिल हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि कश्मीर के हर हिस्से में उनके कैडर हैं जो किसी भी समय अपने आह्वान पर कार्रवाई कर सकता है और घाटी में अशांति को बढ़ावा दे सकता है। जब वित्तीय सहायता की पेशकश की गई, तो आरोपी बिट्टा कराटे ने छह महीने तक अशांति को बढ़ावा देने के लिए Rs.70 करोड़ की मांग की।

नईम खान और फारूक अहमद डार @बिट्टा कराटे की आवाज के नमूनों की फोरेंसिक जांच की गई है और सीएफएसएल

रिपोर्ट ने उनकी आवाज़ के साथ मैच की पुष्टि की है। iv) इसके अलावा, जांच से पता चला है कि वरिष्ठ-सबसे अधिक

पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी हुर्रियत नेताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे थे। नई दिल्ली में पाकिस्तान का उच्चायोग नई दिल्ली में समारोहों और बैठकों का आयोजन करता था, जिसमें कश्मीर के हुर्रियत नेताओं को आमंत्रित किया जाता था और उन्हें नियमित रूप से निर्देश और धन दिया जाता था। ये धनराशि एपीएचसी के विभिन्न सहयोगी समूहों को दी गई थी और जांच से पता चला है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग का प्रथम सचिव स्तर का अधिकारी कार्रवाई करेगा।

एक चैनल के रूप में और ए-10 जहूर अहमद शाह वटाली हुर्रियत नेतृत्व को धन देने के लिए कूरियर का काम करेंगे।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन निधियों का उपयोग संगठित तरीके से घाटी में अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों और अशांति को भड़काने के लिए किया गया था। ऐसा ही एक निमंत्रण पत्र पाकिस्तान उच्चायोग को ए-6 के घर से जब्त कर लिया गया था

फारूक अहमद डार @बिट्टा कराटेः

[2019] 5 एस

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर

पाकिस्तान के उच्चायुक्त और

श्रीमती सलमान बशीर

कंपनी की खुशी का अनुरोध करें

श्री फारूक अहमद डार

एक स्वागत समारोह में

शुक्रवार, 22 मार्च 2013 को 1930 से 2100 बजे तक।

R.S.V.P।

ईः

जी, शांतिपथ, तेल।

011-24121819

अक्यापुरी, नई दिल्ली

फैक्स 011-26872339

एसः राष्ट्रीय/लाउंज सूट/वर्दी

ई-मेलः pakhcnd@gmail।

कॉम

(कृपया इस कार्ड को अपने साथ लाएं)

जाँच ने यह भी स्थापित किया है कि आरोपी ए-4 नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सीधे संपर्क में था और उसे जम्मू-कश्मीर की स्थिति से अवगत कराता था।

17.6. 2 पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से वित्तपोषणः

जाँच के दौरान यह भी पता चलता है कि

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी और अलगाववादी भी पाकिस्तान/पीओके से संचालित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों से धन प्राप्त कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद के घर से जब्त किया गया आपत्तिजनक दस्तावेज। भट्ट, जो आरोपी ए-10 जहूर वटाली के साथ कैशियर-सह-लेखाकार के रूप में काम करते थे, बताते हैं कि जहूर वटाली को उनसे पैसे मिलते थे।

जे. यू. डी. के प्रमुख और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख ए-1 हाफ़िज़ सईद को आरोपित किया और भारत संघ से जम्मू और कश्मीर के अलगाव के कारण का समर्थन करने वाले हुर्रियत नेताओं को भेजा।

17.6. 3 स्थानीय दान/ज़कात/बैतुलमलः

जाँच के दौरान, यह स्थापित होता है कि हुर्रियत के पास जिलों और स्थानीय स्तरों पर कैडरों का अपना नेटवर्क है। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर के नेता हैं जिनके पास है

दान के माध्यम से धन जुटाने की जिम्मेदारी धार्मिक त्यौहार और रमजान का महीना।

एक अच्छी तरह से स्थापित आकस्मिक जांच एजेंसी v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रणाली, रसीद किताबें मुद्रित की जाती हैं और धन एकत्र किया जाता है

दुकानदार, व्यापारी और कश्मीर के निवासी। यह पैसा तहरीक-ए-हुर्रियत का सदस्य बनने के लिए भी एकत्र किया जाता है। चयनित सदस्यों को रुकुन के रूप में बनाया जाता है और उन्हें हुर्रियत की अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने का काम सौंपा जाता है। ये रुकुन अभिनय करते हैं

पैदल सैनिकों के रूप में और यह सुनिश्चित करें कि बंद और हड़ताल सफल हों। वे जुलूस का नेतृत्व भी करते हैं और पथराव में भाग लेते हैं।

जाँच ने यह भी स्थापित किया कि विभिन्न जिला अध्यक्ष बैतुलमल के रूप में प्रति जिले 5 से 10 लाख रुपये एकत्र करते हैं। सेब उत्पादकों और व्यवसायियों से भी धन एकत्र किया जाता है जो हुर्रियत के केंद्रीय कार्यालय को दान करने के लिए मजबूर हैं। इस पैसे का उपयोग किया जाता है

विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के प्रशासनिक और परिचालन उद्देश्य और

हमलों के साथ-साथ आतंकवादियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए।

अभियुक्त ए-4 अल्ताफ अहमद शाह फंटूश से रु. 1,15,45,000/- की राशि की बेनामी प्राप्तियों की जब्ती से यह भी पता चलता है कि दान के माध्यम से धन जुटाया जा रहा है। इसी तरह, अभियुक्त ए-8 मेहराजुद्दीन कलवाल, जो श्रीनगर के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत के जिला अध्यक्ष भी थे, के घर से धन संग्रह से संबंधित रिकॉर्ड भी जब्त किए गए।

और गांदरबल।

इसके अलावा, जाँच के दौरान, यह भी स्थापित होता है कि हुर्रियत नेतृत्व जनता से अपील करता है कि वे अपने तथाकथित लोगों के लिए दान के माध्यम से उदारता से धन का योगदान करें।

स्वतंत्रता आंदोलन। यह स्पष्ट रूप से हुर्रियत सम्मेलन की वेबसाइट में परिलक्षित होता है। डब्ल्यू. डब्ल्यू. हुरियत सम्मेलन। कॉम, जो एस. ए. एस. गिलानी का एक संदेश दिखाता है "शहीदों और कैदियों के परिवारों की मदद करें. लोगों को रमजान के महीने में दान के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इस आंदोलन से प्रभावित लोगों की संख्या बड़ी है"।

यह पुष्टि करता है कि हुर्रियत इसके माध्यम से धन जुटा रहा है।

दान देना और उसी का उपयोग अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और मारे गए और जेल में बंद आतंकवादियों के परिवारों का समर्थन करने के लिए करना।

17.6. 4 एलओसी व्यापारः

जाँच के दौरान, यह स्थापित किया गया है कि अलगाववादी और अलगाववादी नेता एलओसी [2019] 5 एस. सी. आर. के माध्यम से धन जुटा रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कश्मीरी व्यापारियों को ऐसा करने का निर्देश देकर व्यापार करना

जाँच से पता चला है कि एल. ओ. सी. पार व्यापार में लगे व्यापारियों की एक बड़ी संख्या के रिश्तेदार सीमा पार हैं जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से निकटता से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से हिज्ब-उल-मुजाहिदीन। जाँच में यह भी पता चला है कि कुछ पूर्व आतंकवादी और उनके परिवार के सदस्य छद्म कंपनियों का उपयोग कर रहे हैं और व्यापारियों के रूप में पंजीकृत हैं। जाँच के दौरान, प्रतिबंधित पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए एल. ओ. सी. व्यापार मार्ग का उपयोग भी सामने आया है। एल. ओ. सी. व्यापार में अनियमितताओं के संबंध में एक अलग जांच चल रही है।

17.6. 5 हवालाः

उपर्युक्त स्रोतों और माध्यमों के अलावा, अलगाववादी हवाला नेटवर्क और माध्यमों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं ताकि भारत के तट से बाहर के स्थानों से भारत में धन लाया जा सके ताकि भारत विरोधी भावना को बढ़ावा दिया जा सके।

चालन। से दोषपूर्ण दस्तावेज़ की जब्ती उनके कैशियर-सह-लेखाकार का घर। गुलाम मोहम्मद। जहूर अहमद टी. आई. एन. ए. एल. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v. द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान के संबंध में भट्ट।

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पास्किस्तानी प्रतिष्ठान और आतंकवादी संगठनों से शाह वटाली और जम्मू-कश्मीर के हुर्रियत नेताओं और अलगाववादियों को उनके द्वारा भेजे गए धन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए विदेश से भारत में धन भेजने का एक सक्रिय माध्यम था।

(ii) जाँच के दौरान, यह पता चलता है कि आरोपी ए-10 जहूर अहमद शाह वटाली को लाया जा रहा था।

उनके द्वारा खोली गई कई फर्मों और कंपनियों के माध्यम से समुद्र के किनारे के स्थानों से भारत में धन भेजा जाता है। यह पता चला कि जहूर अहमद शाह वटाली के पास एक

जे एंड के बैंक में एन. आर. ई. ए./सी. No.0252040200000505 और उन्हें विदेशी प्रेषण प्राप्त हुआ अज्ञात स्रोतों से 2011 से 2013 तक इस खाते में Rs.93,87,639.31/-।

iii) जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली अपने खाते में 'अन्य आय' के तहत विदेशी धन भेज रहा था।

स्वामित्व फर्म अर्थात। ट्रिसन इंटरनेशनल, श्रीनगर। उनके बैंक खातों के विश्लेषण से यह पता चला है

उस विदेशी प्रेषण की राशि रु। 2,26,87, 639.31 अभियुक्त जहूर अहमद शाह वटाली ने उनका स्वागत किया।

वर्ष 2011 से 2016 तक के विभिन्न खाते। 2011 से 2013 तक जेएंडके बैंक में जहूर अहमद शाह वटाली ए/सी No.NRE-0252040200000505 में Rs.93,87,639.31/- की राशि आई। आचार्य श्री चंदर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के खाते में <ID1 लाख की राशि भेजी गई थी।

09.04.2013 एन. ई. एफ. टी. के माध्यम से अपने बेटे के लिए जमा शुल्क के बदले, अर्थात्। , यावर जहूर शाह वटाली। जे एंड के बैंक ए/सी No.CD4508 में आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली के चालू खाते में Rs.60 लाख की राशि भेजी गई थी। एक राशि

ट्रिसन फ़ार्म्स एंड के खाते में 5 लाख रुपये भेजे गए। कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड ए/सी ओटीएन-10162। जाँच से पता चला है कि ये सभी विदेशी प्रेषण अज्ञात हैं

स्रोतों।

iv) जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि 07.11.2014 पर, ओम [2019] 5 एस. सी. आर. का बेटा नवल किशोर कपूर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड ने अपने प्रबंध निदेशक जहूर अहमद शाह वटाली के माध्यम से 20 मीटर जमीन का एक टुकड़ा लिया सोज़िथ गोरीपोरा नागबल, बडगाम में कनालों को प्रीमियम के रूप में 6 करोड़ रुपये की राशि और 40 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए वार्षिक किराए पर पट्टे पर दिया गया है।

जिसे दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सके, बढ़ाया जा सकता है। समझौते में मेसर्स ट्रिसन फ़ार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि. लिमिटेड को विचाराधीन भूमि के टुकड़े का पूर्ण मालिक घोषित किया गया था। श्री नवल किशोर कपूर ने कुल

रु. की राशि। 2013 और 2016 के बीच आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली को 22 किश्तों में 1 करोड़ रुपये दिए गए।

v) जाँच के दौरान यह पता चला कि

मेसर्स ट्रिसन फ़ार्म्स के नाम पर कोई भूमि मौजूद नहीं है और

कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड उक्त कंपनी की तुलनपत्र के अनुसार। (AY 2011-12 से 2016-17)। यह भी पता चला

कि नवल किशोर कपूर द्वारा अज्ञात स्रोतों से बड़ी राशि यानी 1,000 रुपये जुटाए गए थे और 2 साल की अवधि में आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली को भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर देने के लिए भेजा गया था, जो समझौते में प्रथम पक्ष के रूप में उल्लिखित कंपनी के नाम पर भी मौजूद नहीं है और समझौते में कानूनी रूप से कमी है।

पवित्रता। यह साबित करता है कि उक्त समझौता आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली द्वारा अज्ञात स्रोतों से भारत में विदेशी प्रेषण लाने के लिए बनाया गया एक 'कवर' था।

vi) जाँच के दौरान, इसका भी पता लगाया जाता है।

कि चार्टर्ड एकाउंटेंट, जिसने अभियुक्त ए-10 जहूर अहमद शाह वटाली से संबंधित फर्मों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए थे। मेसर्स ट्रिसन इंटरनेशनल (2013-14 और 2015-16), ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (2013-14 और 2015-16), मेसर्स 3Y (2012-13,2013-14 और 2015-16) और मेसर्स यासिर एंटरप्राइजेज (2013-14 और 2015-16) ने बिना कोई सहायक दस्तावेज देखे ऐसा किया। इन कंपनियों की बैलेंस शीट उन्हें विज़किड कार्यालय, श्रीनगर के कॉस्ट एकाउंटेंट मुस्ताक मीर और चार्टर्ड एकाउंटेंट शब्बीर मीर द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी और उन्हें बिना कोई दस्तावेज दिखाए दिल्ली में उन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद

शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इससे साफ पता चलता है कि जहूर वटाली पैसे भेज रहा था।

भारत को अज्ञात स्रोतों से प्राप्त।

2010-11 , अभियुक्त ए-10 जहूर अहमद की एक फर्म शाह वटाली और उनके परिवार के सदस्य। , ट्रिसन फार्म और

कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड ने असुरक्षित ऋण उठाया

रु. 2,65,55,532/- कंपनी के निदेशकों से, अर्थात आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली, उसकी पत्नी सरवा बेगम

और उनके बेटे यासिर गफ्फार शाह, यावर जहूर और यामीन

ज़हूर नकद और चेक दोनों के रूप में और वही

सुरक्षित ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था

रु. 2,94,53,353/- जे एंड के बैंक की पुस्तकों में। इसका स्रोत

निदेशकों के पास पैसे होने के बारे में नहीं बताया जा सका

आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली द्वारा संतोषजनक रूप से।

viii) अभियुक्त ए-10 जहूर के घर से जब्ती

अहमद शाह वटाली, आई. एस. आई. अधिकारियों की सूची और एक पत्र

ए. आई. शफी समूह के मालिक तारिक शफी ने संबोधित किया

पाकिस्तान उच्चायोग ने वीजा देने की सिफारिश की

जहूर वटाली ने पाकिस्तानी के साथ अपनी निकटता दिखाई

स्थापना। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि तारिक शफी विदेशी योगदान के दस्तावेज़ में शामिल हैं।

जहूर वटाली के कैशियर-सह के घर से जब्त किया गया लेखाकार अर्थात। , गुलाम मोहम्मद। भट्ट "।

(इटैलिक और बोल्ड में जोर दिया जाता है)

29. इन आरोपों के संदर्भ में, डायरी में प्रविष्टि और

गुलाम के घर से बरामद किया गया हरे रंग का दस्तावेज़

मोहम्मद भट्ट महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, 3 जून, 2017 को प्रत्यर्थी (अभियुक्त No.10) के परिसर से जब्त की गई वस्तुओं/दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती के संबंध में दस्तावेज़ डी-3/6 के रूप में वर्णित जब्ती ज्ञापन, प्रत्यर्थी की गतिविधियों को उजागर करेगा, जिसमें उसके वित्तीय सौदों के बारे में भी शामिल है। एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़

डी-3 जी/20 के रूप में वर्णित एक संपर्क डायरी है जिसे प्रतिवादी से मेमो डी-3 के माध्यम से जब्त किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का राष्ट्रीय नाम और संपर्क "तारिक शफी 092425765022.26 ए" है जिसका नाम दस्तावेज़ में है।

डी-132 (ए)/23। कोड "0092" पाकिस्तान से संबंधित है। ज्ञापन डी-3 के माध्यम से प्रतिवादी से एक और संपर्क डायरी जब्त की गई थी, जो पृष्ठ [2019] 5 एस. सी. आर. पर है।

डी-3एच/28 में एक ही नाम और संपर्क होता है, अर्थात्, "तारिक शफी 00923008459775/0092425765022"। दस्तावेज़ डी-3जे से डी-3जे/5 भी आतंकवादी गतिविधियों में प्रतिवादी की संलिप्तता का संकेत देते हैं,

शाहिद-उल-इस्लाम (ए-3) एके-47 पकड़े हुए, अन्य आतंकवादियों के साथ देखा गया। ये तस्वीरें उक्त पूर्व आतंकवादी के आवास से जब्त की गई थीं। 3आरडी जून, 2017। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि प्रतिवादी (अभियुक्त No.10) उक्त पूर्व आतंकवादी आफताब हिलाली शाह @शाहिद-उल-इस्लाम (ए-3) के साथ लगातार संपर्क में था, जैसा कि ऊपर दर्शाए गए अंतर-संबंध चार्ट से देखा गया है। यह तथ्य सी. डी. आर. विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा समर्थित है, जो आरोप पत्र का भी हिस्सा है। आरोप-पत्र में दस्तावेज़ भी होता है।

यह मानते हुए कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। नामित न्यायालय द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया दृष्टिकोण हमारी सराहना करता है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय ने एक कमजोर दृष्टिकोण अपनाया-पहले दस्तावेज़ डी-132 (ए) को खारिज कर दिया और फिर धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान को भी खारिज कर दिया।

जांच एजेंसी द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए गए धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय को उन सामग्रियों/साक्ष्यों की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए था जो कथित आयोग के आयोग में प्रतिवादी की भागीदारी को दर्शाते हैं।

आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए धारा 17 के तहत बाड़ लगाने के अलावा अपराध और एक बड़ी साजिश का सदस्य होना।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. ज़हूर अहमद

शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

30. निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी के मामले में

(ऊपर), न्यायालय ने अनिवार्य रूप से "निर्वहन" के स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा जांच के दायरे और दायरे पर विचार किया। उस संदर्भ में, न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6 और 8 में टिप्पणियां कीं जिन्हें तदनुसार समझा जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमें 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी (5) के परंतुक के उद्देश्य के संदर्भ में जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा जाता है।

यह आदेश देता है कि 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के लिए संदर्भित बाड़ लगाने में शामिल अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा। हालाँकि, न्यायालय ऐसे अभियुक्त को केवल तभी जमानत पर रिहा कर सकता है जब केस डायरी और/या Cr.P.C की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट के अवलोकन पर यह राय हो कि यह विश्वास करने के लिए "कोई उचित आधार" नहीं हैं कि ऐसे अभियुक्त के खिलाफ आरोप व्यक्ति प्रथम दृष्टया सही है। इसके विपरीत, यदि न्यायालय की राय में,

यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, जमानत देने का सवाल सही नहीं होगा।

इस प्रकार उत्पन्न होता है क्योंकि ऐसे मामलों में जमानत नहीं देने के परंतुक के पहले भाग के तहत प्रतिबंध लागू होगा।

31. तथ्य यह है कि धारा 43 डी (5) में निहित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में अभियुक्त पर एक बड़ा बोझ है

कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि यह दिखाने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम है सत्य प्रतीत होते हुए, के. वीरास्वामी (ऊपर) में वर्णित कानूनी स्थिति को इस प्रभाव से नहीं बदलता है कि आरोप पत्र में साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। यह उस न्यायालय के लिए है जो जमानत के लिए आवेदन पर विचार कर रहा है कि वह जाँच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री/साक्ष्य का आकलन Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट के साथ करे।

पूर्णतः, इस बारे में अपनी राय बनाने के लिए कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि नामित अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है या अन्यथा।

32. हितेंद्र विष्णु ठाकुर (उपर्युक्त) के मामले में, न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा गया था, जैसा कि निर्णय के शुरुआती पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। :

" आपराधिक अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं के इस समूह में (आपराधिक) तीन सार्थक प्रश्न जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वे हैंः (1) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 [2019] 5 एस. सी. आर. की धारा 3 (1) के प्रावधान कब हो सकते हैं?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीरियटिम " विचार के लिए प्रासंगिक मामलों पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था

वैधानिक अवधि में आरोप पत्र दाखिल करने में चूक के आधार पर जमानत के लिए निवेदन। वास्तव में, प्रश्नों में से एक विशेष अधिनियम टाडा के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में जमानत देने से संबंधित प्रावधानों के बारे में था। रिपोर्ट किए गए निर्णय के ग्राफ 13 और 14 में इस पर चर्चा की गई है, जो इस प्रकार हैः

जाँच के कुछ चरण के तहत एक अपराध को जोड़ने का विकल्प चुनता है एक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ टाडा के समान (एस. आई. सी. कुछ) प्रावधान, अक्सर जमानत देने का विरोध करते समय, अग्रिम या

अन्यथा। नामित न्यायालयों को हमेशा विचार करना चाहिए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखें और अपने दिमाग को लागू करें

यह देखने के लिए कि क्या टाडा के प्रावधान प्रथम दृष्टया समान हैं

आकर्षित किया।

14. इस अधिनियम में एक या अधिक के गठन का प्रावधान है।

अधिनियम के तहत निर्दिष्ट मामलों या मामलों के वर्ग या समूह की सुनवाई के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित न्यायालय। अधिनियम बनाता है

अधिनियम या बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध

इसके तहत व्यक्तिगत जांच एजेंसी के अर्थ के भीतर एक संज्ञेय अपराध होना।

ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम के तहत अपराधों के लिए निर्धारित बढ़ी हुई सजा के साथ अधिनियम नामित न्यायालय का कार्य बनाता है इससे भी अधिक कठिन, क्योंकि अपराध जितना गंभीर होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने से पहले अपराध को अधिनियम के चारों कोनों के भीतर सख्ती से आना चाहिए। जहाँ नामित न्यायालय बिना उतने के

यहाँ तक कि सामग्री के आधार पर एक प्रथम दृष्टया मामले का पता लगाने के रूप में

रिकॉर्ड, टाडा के किसी भी प्रावधान के तहत एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए आगे बढ़ता है, केवल निवेश एजेंसी के बयान पर, यह केवल जांच एजेंसी के डाकघर के रूप में कार्य करता है और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के बजाय 'आतंकवादी' गतिविधियों से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए अधिक नुकसान करता है। ऐसे मामलों में उपचार बीमारी से भी बदतर होगा और टाडा के प्रावधानों के दुरुपयोग के राज्य के खिलाफ आरोप स्वीकार्यता प्राप्त करेगा, जो अपराधी और समाज दोनों के लिए बुरा होगा। इसलिए, यह जांच एजेंसी का दायित्व है कि वह नामित न्यायालय को संतुष्ट करे

जाँच के दौरान उसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री, न कि केवल [2019] 5 एस. सी. आर. द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जांच एजेंसी द्वारा बनाई गई राय, कि 'आतंकवादी' की गतिविधि टाडा के प्रावधानों के मानदंडों के भीतर सख्ती से आती है, टाडा के तहत किसी आरोपी पर आरोप लगाने की मांग करने से पहले। नामित न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए

टाडा द्वारा कवर किए गए अपराधों के लिए एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले रिकॉर्ड पर सामग्री। टाडा के तहत एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में साक्ष्य देने के बाद भी, यह नामित न्यायालय का दायित्व है कि वह मामले की जांच करने के लिए अतिरिक्त ध्यान रखे।

यह पता लगाने के लिए कि अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं, साक्ष्य। इसलिए, नामित न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और उसी का विश्लेषण करने के बाद एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य ने स्थापित किया है कि आरोपी का मामला टाडा के तहत किसी आरोपी के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले अधिनियम के चारों कोनों के भीतर सख्ती से आता है।

पुनः, उक्त निर्णय के अनुच्छेद 22 में, न्यायालय ने कहा " 22. ..... दोनों प्रावधान अलग-अलग और स्वतंत्र क्षेत्रों में काम करते हैं। धारा 20 (4) के तहत जमानत देने का आधार, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन आधारों से पूरी तरह से अलग है जिन पर अधिनियम की धारा 20 (8) के तहत जमानत दी जा सकती है। इस स्तर पर अधिनियम की धारा 20 (8) और (9) के प्रावधानों पर ध्यान देना फायदेमंद होगा।

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और (ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है,

न्यायालय संतुष्ट है कि इसके लिए उचित आधार हैं -

यह मानते हुए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और वह नहीं है

जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना।

आयनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी v. ज़हूर अहमद शाह वटाली [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(9) उप-धारा (8) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं संहिता या जमानत देने पर तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा हैं।

जैसा कि धारा 20 की उप-धारा (8) के सरल वाक्यांश से देखा जा सकता है, यह एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है और इसके संचालन में टाडा या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति की रिहाई पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जब तक कि खंड (ए) और (बी) में निहित दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। धारा 20 (8) के तहत कोई जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि नामित न्यायालय लोक अभियोजक को नोटिस के बाद संतुष्ट न हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। उप-धारा (9) उप-धारा (8) को इस हद तक योग्य बनाती है कि खंड (ए) और (बी) में निहित दो शर्तें दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य के तहत निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

जमानत देने से संबंधित कुछ समय के लिए लागू कानून। कड़ाई से कहें तो धारा 20 (8) शक्ति का स्रोत नहीं है

जमानत देने के लिए नामित न्यायालय लेकिन यह टाडा के तहत मामलों में जमानत देने की अपनी शक्ति के प्रयोग पर और सीमाएं लगाता है, जैसा कि धारा 20 (9) की सरल भाषा से स्पष्ट है। कर्तार सिंह मामले में संविधान पीठ ने अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (8) और (9) के दायरे और दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत कियाः

उस्मानभाई मामला 2 0: (एस. सी. सी पी. 704, पैरा 344)

' हालांकि इसके अलावा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामले के संबंध में अधिनियम की धारा 20 (7) में निहित संहिता की धारा 439 की प्रयोज्यता, लेकिन उस परिणाम को आवश्यक रूप से निहितार्थ, अनुसरण करें। यह सच है कि जमानत देने के लिए एक नामित न्यायालय की शक्ति का स्रोत अधिनियम की धारा 20 (8) नहीं है क्योंकि यह केवल ऐसी शक्ति पर सीमाएं लगाता है। ऐसा किया जाता है।

धारा 20 (9) द्वारा स्पष्ट किया गया है जो यह अधिनियमित करता है कि धारा 20 (8) में निर्दिष्ट जमानत देना '[2019] 5 एस. सी. आर. के अतिरिक्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाएं '। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जमानत देने के लिए एक नामित न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 439 से संबंधित है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि एक नामित न्यायालय संहिता की धारा 437 के अर्थ में 'उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अलावा एक अन्य न्यायालय' है। नामित न्यायालय द्वारा जमानत देने की शक्ति का प्रयोग केवल विषय नहीं है

उसमें निहित सीमाओं के लिए, लेकिन अधिनियम की धारा 20 (8) द्वारा रखी गई सीमाओं के अधीन भी है।

और जोड़ा गयाः (एस. सी. सी पी. 704, पैरा 345)

' धारा 20 (8) पर लौटते हुए, यदि उसमें उल्लिखित दो शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो प्रतिबंध लागू होता है और आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) द्वारा संशोधित धारा 167 (2) के अधीन है। ”

इस प्रकार, टाडा की धारा 20 (8) का दायरा और दायरा अब एकीकृत नहीं है और उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि दोनों

टाडा की धारा 20 (4) और 20 (8) के प्रावधान

विभिन्न परिस्थितियाँ और विभिन्न द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं विचार "।

34. दस्तावेज़ डी-132 (ए) के संदर्भ में, उच्च न्यायालय इस तर्क से प्रभावित था कि यह अस्वीकार्य होगा। को। उच्च न्यायालय की उस राय के समर्थन में, प्रत्यर्थी वी. सी. शुक्ला (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करेगा। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के आलोक में, उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नियमित रूप से व्यवसाय के दौरान रखी गई लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं थी। किसी भी मामले में, किसी भी विचाराधीन साक्ष्य के अभाव में वह दस्तावेज़ अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। विद्वान महान्यायवादी, खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और ओआरएस में अंतर्निहित सिद्धांत पर भरोसा करते हुए। बनाम कर्नाटक राज्य और Ors.[21], यह तर्क देंगे कि अपराध में व्यापार नहीं हो सकता है और,

21 (1995) 1 एस. सी. सी. 574 (पैरा 60)

इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष उक्त दस्तावेज़ में उल्लिखित तथ्यों का उपयोग कर सकता है और अन्य सबूतों द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ इसे साबित कर सकता है। इस तर्क को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, हम विद्वान महान्यायवादी के तर्क में बल पाते हैं कि स्वीकार्यता का मुद्दा और

जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य की विश्वसनीयता परीक्षण का विषय होगा। इसके अलावा, निस्संदेह, अभियोजन पक्ष केवल गुलाम मोहम्मद भट्ट (डब्ल्यू-29) के आवास से बरामद दस्तावेज़ डी-132 (ए) पर निर्भर नहीं है। प्रतिवादी से अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

35. अपीलार्थी ने सलीम खान (ऊपर) में दिए गए स्पष्टीकरण पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि उन मामलों में जहां उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले की तरह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण अपनाया है, महत्वपूर्ण को खारिज कर दिया है। सामग्री/साक्ष्य जो धारा 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट में संदर्भित है और नामित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, फिर आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी का तर्क है कि उक्त निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सूचना देने वाले द्वारा जमानत रद्द करने के आवेदन से संबंधित है। हालाँकि, हम अपीलार्थी के तर्क में बल पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में जमानत देने के अनुरोध पर विचार करते हुए एक अनुचित दृष्टिकोण अपनाया। उच्च न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए था क्योंकि यह अस्वीकार्य है और इसे खारिज नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तय कानूनी स्थिति की अनदेखी की कि जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करने के चरण में, सामग्री को तौलना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल व्यापक संभावनाओं पर उसके सामने सामग्री के आधार पर राय बनाना आवश्यक है। उम्मीद की जाती है कि अदालत यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाएगी कि क्या अभियुक्तों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।

वास्तव में, वर्तमान मामले में, हमें जमानत रद्द करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए नहीं बल्कि जमानत की शुद्धता की जांच करने के लिए कहा जाता है।

अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य होने का संकेत देने वाली सामग्री और साक्ष्य के बावजूद अभियुक्त को जमानत देने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण।

36. चेन्ना बोयन्ना कृष्ण यादव (ऊपर) मामले में इस अदालत के एक फैसले में, जिसका संदर्भ दिया गया है, अदालत ने [2019] 5 एस. सी. आर. को फिर से कहा है।

मकोका अपराधों के संबंध में जमानत देने से पहले न्यायालय द्वारा दो शर्तों पर विचार किया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में, नामित न्यायालय ने सही राय दी है कि उचित हैं

यह विश्वास करने के लिए आधार कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। चूँकि हम जमानत की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हमारी राय में, प्रोलिक्सिटी को दूर करने के लिए अन्य पहलुओं पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है।

निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रतिवादी कथित अपराधों, विशेष रूप से 1967 अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में जमानत देने का हकदार नहीं है। 38. तदनुसार, यह अपील सफल होती है। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके बजाय, प्रतिवादी द्वारा जमानत देने के आवेदन को खारिज करने वाले नामित न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

39. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे